खण्ड-285, अंक-5
मंगलवार, 9 आषाढ़, शक संवत् 1892
(30 जून, 1970 ई0)

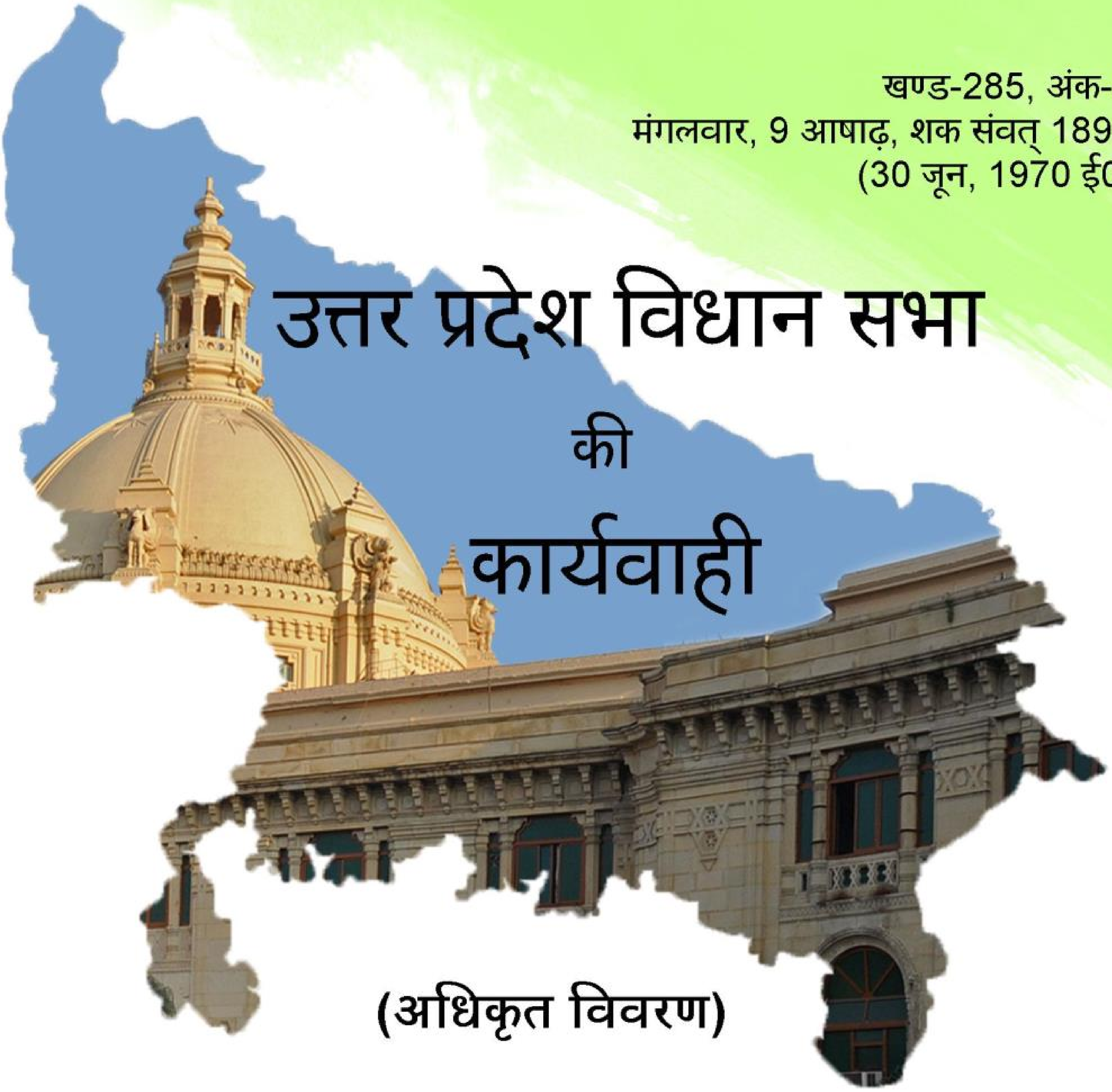

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 285 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४९७–५०१
प्रश्नोत्तर	५०१–५३२
श्री अनन्त राम जायसवाल के निलम्बन का प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाने के कारण मुख्य मंत्री से त्याग-पत्र की मांग तथा सरकार में विश्वास प्राप्त करने का प्रस्ताव	५३३–५४९
मत्थियां	५५०–५६२

विधान सभा दुर्ग

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ३० जून, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६३

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
(बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगननाथ खन्ना, श्री
जगनप्रसाद रावत ,श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेजबहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री

बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभो, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल, किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री

रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्तीचरन पिड़ारा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडेय, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्सरात, श्री
सन्तू, श्री

सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, श्रीमती
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—खाद्य तथा रसद मंत्री श्री बलदेव सिंह आर्य तथा शिक्षा मंत्री श्री श्रीपति मिश्र भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ३० जून, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

धान तथा चावल को एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने पर प्रतिबन्ध

**१—श्री रामबचन यादव (जिला आजमगढ़—रानी की सराय)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि धान या चावल को एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने पर प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

जी हां। चावल एक जिले से दूसरे जिले में तथा धान जिलों के एक ब्लाक से बाहर ले जाने पर प्रतिबन्ध है। ये प्रतिबन्ध चावल की उगाही के लिये आवश्यक हैं।

श्री रामबचन यादव—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस प्रतिबन्ध के कारण उन जिलों में जहां पर चावल की कमी है चावल के भाव इतने बढ़ गये हैं कि गरीब आदमियों के लिये खरीदना कठिन हो गया है ? और....

श्री अध्यक्ष—

एक-एक सवाल पूछिये ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

श्रीमन्, सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है कि जहां चावल नहीं होता वहां पर कीमत बढ़ गयी है ।

श्री रामबचन यादव—

क्या सरकार की इस प्रतिबन्ध की नीति से चोर-बाजारी को प्रोत्साहन मिला है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रतिबन्ध को हटाने के लिये विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जो जिले अन्य प्रदेशों की सीमा से लगे हुये हैं, वहां पर सरकार ने चौकियां बैठायी हुयी हैं, जिससे चावल दूसरे प्रदेश को न जा सके । यह व्यवस्था सरकार की ओर से की जा चुकी है ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय खाद्य मंत्री अपनी एजेन्सी द्वारा पता लगायेंगे कि चावल के भाव और खास तौर से पूर्वी इलाके में सवाये और ड्योढ़े हो गये हैं और इस बात का भी प्रबन्ध करेंगे कि एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर जो नियंत्रण लगा रखा है, उसको हटा दिया जाय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मैं इस बात से सहमत हूं कि इसकी जानकारी करा ली जाय कि कहां पर कितनी कीमत बढ़ गयी है और एक आध जगह की तो मुझे जानकारी है भी लेकिन चूंकि यह सवाल सारे पूर्वी जिलों का सवाल पूछा गया है इसलिये जानकारी कराना आवश्यक है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

यह प्रतिबन्ध जो लगाया गया है क्या यह प्रदेश के सारे जिलों के लिये है या कुछ अंचलों में ही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह प्रतिबन्ध पूरे प्रदेश में है ।

श्री शिवकुमार (सुल्तानपुर)—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में अभी कहा कि बार्डर पर चौकियां कायम कर दी गयी हैं और भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा है । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर और जौनपुर के बीच में एक सुरापुर गांव पड़ता है । क्या वहां पर कोई चौकी बैठायी गयी है क्योंकि सुल्तानपुर से जौनपुर चावल ब्लैक मार्किटिंग से जाता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

कोई भी यात्री अपने माल के साथ में इसको एक हिस्सा मान कर ४० किलोग्राम तक चावल ले जा सकता है, धान भी ले जा सकता है । इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । जो प्रतिबन्ध है वह रेल, ट्रक या किसी अन्य यांत्रिक वाहन से है । उसके लिये आवश्यक है कि वह खाद्य नियन्त्रक या जो भी प्राधिकारी हो, इस काम के लिये नियुक्त हो, उससे परमिट लेकर प्रदेश में किसी जिले से किसी दूसरे जिले में ले जा सकता है । अगर खुली छूट हो तो जो सरकारी फेयर प्राइस शाप्स के जरिये राशन दिया जाता है, उसके लिये उगाही करने में कठिनाई पैदा होती है । इसलिये लेवी के आदेश सरकार की ओर से जारी किये गये थे ।

कुंवर चन्द्रप्रताप नरायन सिंह (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो दाम आपने पहले दिये थे उस पर कई सदस्यों ने कहा कि दाम ठीक नहीं है इसलिये जांच कराई जाय । अभी मंत्री जी ने कहा कि भाव मालूम नहीं है । इस विषय पर मंत्री जी क्या प्रकाश डालेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मान्यवर, वह किसी खास जगह के बारे में पूछा होगा और वह उस प्रश्न का उत्तर मिला होगा। इस समय जो बात हो रही है वह कई जिलों के सम्बन्ध में—पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में हो रही है। तो सब जिलों की जानकारी इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि चावल के नियंत्रण से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इस भ्रष्टाचार को रोकने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

हमारे पास भ्रष्टाचार की कोई सूचना नहीं है। अगर आप कोई निश्चित शिकायत करेंगे तो उसकी छानबीन करा ली जायेगी और जो दोषी पाये जायेंगे उनको अवश्य दंड दिया जायेगा।

श्री रामवचन यादव—

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर के इन पूर्वी जिलों में चावल की कमी के कारण आज चावल का दाम आसमान छू रहा है। ऐसी स्थिति में गरीबों पर अत्याचार हुआ है। तो क्या सरकार चावल से प्रतिबन्ध हटाने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इस प्रश्न पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया। अगर भविष्य में सरकार कोई विचार करेगी तो वह आपके सामने आ जायेगा।

श्री कृष्णकान्त—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि एक जिले से दूसरे जिले में चावल नहीं जायेगा और एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक में धान नहीं जायेगा। तो क्या यह चावल की उगाही की दृष्टि से ऐसा किया जा रहा है ? इस प्रतिबन्ध को हटा देने से चावल की उगाही में क्या कठिनाई आ जायेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मान्यवर, दूसरे प्रदेशों में चावल हमारे प्रदेश से ज्यादा महंगा है यह तो पहली बात हुई। दूसरी बात यह है कि जिन जिलों में चावल की पैदावार नहीं होती उन जिलों को हम चावल नहीं पहुंचा सकते। यह सम्भावना है कि अगर इसे फ्री कर दिया जाय तो दूसरे प्रदेशों को चावल चला जायेगा, स्मगलिंग हो जायेगी और उससे व्यापारी फायदा उठायेंगे। किसानों और उपभोक्ताओं को उससे फायदा नहीं होगा। किसानों और उपभोक्ताओं के हित में यह लेवी का प्राविधान किया गया है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के जिन जिलों में कमी है उन जिलों को हम चावल नहीं पहुंचा सकते। क्या मंत्री जी को यह पता है कि इनके जो प्रतिबन्ध लगाने का कानून है वह त्रुटिपूर्ण है और उसका लाभ उठा कर बैलगाड़ियों से हजारों लाखों मन गल्ला नेपाल के रास्ते से चीन को भेज दिया जाता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है कि बैलगाड़ियों से हमारे यहां का चावल नेपाल के जरिये चीन जा रहा है। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जब बैलगाड़ियों से जाने की सुविधा है, उस पर कोई रुकावट नहीं है, तो एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने में क्या कठिनाई है ?

शिक्षा संस्थाओं में आर० एस० एस० तथा मुस्लिम लीग की परेड

**२—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं), श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ), श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली) तथा श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालय में फिरकापरस्ती व जात-पांत को दूर करने के लिये इन संस्थाओं में आर० एस० एस० की शाखाओं व परेडों पर प्रतिबन्ध लगाने पर कोई विचार कर रही है ? इसी प्रकार मुस्लिम लीग व मुस्लिम मजलिस की भी परेडों व शाखाओं पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

शिक्षा विभाग में कोई सूचना प्राप्त नहीं है कि स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में आर० एस० एस०, मुस्लिम लीग अथवा मुस्लिम मजलिस की शाखायें हैं या परेडें होती है इसलिये इन पर प्रतिबन्ध लगाने या फिरकापरस्ती और जात-पांत को इन संस्थाओं से दूर करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

सभी अखबारों में इसकी चर्चा है और सभी दलों द्वारा भी यह मांग की गयी है कि इन कालिजों में इनकी शाखायें आदि होती हैं, इनको बन्द किया जाय, क्या सरकार को इसकी जानकारी है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जो समाचार पत्रों में इसकी चर्चा है कि स्कूल और कालिजों की प्रीमीसेज का इसके लिये इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी बात नहीं है कि एजूकेशनल इन्सस्टीट्यूशन में इस तरह की शाखायें खोलने की व्यवस्था हो । लेकिन आज यह प्रश्न जरूर गम्भीर है कि स्कूल और कालिजों के अन्दर ऐसी शाखायें जो साम्प्रदायिकता का प्रचार करती हों करने की इजाजत दी जाय या न दी जाय ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या उन स्कूल और कालिजों को जिनको कि सरकार मदद देती है उनको यह आदेश सरकार देगी कि वे अपने यहां आर० एस० एस० मुस्लिम लीग व मुस्लिम मजलिस की कोई परेड अपने यहां न होने दें ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

हां, अगर सरकार के पास ऐसी सूचना आती है कि जिसके द्वारा यह मालूम हो कि शिक्षा संस्थाओं के मैदान का इन चीजों के लिये इस्तेमाल किया जाता है, तो जरूर आदेश दिया जायेगा ।

श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

जो प्राइवेट स्कूल हैं और जो इन संबंधित संस्थाओं में विश्वास करते हैं, वहां पर इस प्रकार की शाखायें खोली जा रही हैं और अपने अपने मत का प्रचार किया जाता है, क्या यह सही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय सदस्य ऐसी संस्थाओं के नाम बतायेंगे, तो उनकी जांच की जायगी ।

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

मंत्री जी ने जो सूचना सदन को दी है शिक्षा संस्थाओं के अधिकारियों ने जो रिपोर्ट भेजी है, उस पर आधारित है या उसके अलावा पुलिस या खुफिया विभाग के द्वारा भी जांच कराई थी, उस पर आधारित है ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

यह शिक्षा विभाग की सूचना के ऊपर आधारित है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

शिक्षा मंत्री जी ने एक जनरल उत्तर दिया है कि यह ऐसी पाबन्दी लगायेंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो भी संस्थायें हैं, उनके विधान, उनके राष्ट्रीय गुण अवगुण जांचने के बाद ही यह निर्णय सरकार लेगी या यों ही ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

साम्प्रदायिकता के आधार पर अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो उस पर पाबन्दी लगाने की बात सरकार सोच सकती है । आदेश प्रसारित करने के पूर्व इसके हर पहलू पर विचार किया जायेगा । यह एक व्यापक प्रश्न पूरे देश के सामने आज उपस्थित है, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं ।

कानपुर के गोदामों से गल्ला रिलीज होना

**३—श्री ईश्वर दयाल त्यागी, श्री मोहम्मद असरार अहमद, श्री शफीक अहमद खां तथा श्री त्रिलोक चन्द्र—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उनको कोई ऐसी सूचना मिली है कि मरे कम्पनी गोंटियां व चन्दारी गोदामों, कानपुर से लगभग तीन लाख का सरकारी चावल गायब हो गया है ? क्या यह भी सच है कि ओ० पी० अवस्थी, महामंत्री, रीजनल फूड कंट्रोलर इम्पलाइज यूनियन, कानपुर ने इस संबंध में सरकार व अन्य अधिकारियों का ध्यान दिलाया है? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है और यह चावल किस तरह गायब हो गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ऐसी कोई सूचना नहीं मिली । महामंत्री, रीजनल फूड कंट्रोलर इम्पलाइज यूनियन कानपुर, ने इस संबंध में सरकार व अन्य अधिकारियों का ध्यान नहीं दिलाया । प्रश्न का तीसरा भाग नहीं उठता ।

श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

मंत्री जी ने जो उत्तर दिया सूचना नहीं मिली । तो क्या उन्होंने वहां के स्टाक की, और रजिस्टर को चेक कराया है, छानबीन कराई है या वैसे ही उत्तर आ गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, जांच कराई गई है । जिस घटना के संबंध में यह प्रश्न है वह तो निराधार है । एक दूसरी घटना जरूर हुई है । वह यह है कि वहां पर तीन गोदाम हैं चन्दारी, गोंटियां तथा मरे कम्पनी । उनमें से कुछ फर्जी चालान, जाली रिलीज आर्डर पर कुछ गल्ला रिलीज हुआ है । यह जो गल्ला रिलीज हुआ है, उसका मूल्य ८७ हजार १७ रुपये ९५ पैसे है । यह तो तब सरकार की नोटिस में आया, जब महालेखाकार, इलाहाबाद ने अपनी आडिट पार्टी भेजी और उसने २–६–७० को सरकार को अपनी आडिट रिपोर्ट में इस घटना का उल्लेख किया ।

श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

माननीय मंत्री जी प्रश्नकर्ता की सूचना को आधार मान कर क्या इस केस की दोबारा सी०आई०डी० से जांच करवाने की कृपा करेंगे?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जो सूचना आपने मांगी है, उसकी पूछतांछ करने के बाद मेरे पास जो रिपोर्ट आयी है उसी को मैं बता रहा हूं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो रिपोर्ट आडिट की आयी है उसको पढ़ कर सदन को सुनायेंगे कि क्या है? आडिट रिपोर्ट में इसके संबंध में थोड़ा सा जिक्र होगा वह तो मिलना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—

संक्षेप में बता सकें तो दें । लम्बा हो तो इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मैंने निवेदन किया कि २–६–७० को महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की आडिट पार्टी ने इस बात को पकड़ा कि गोंटिया, चंदारी, और मरे कम्पनी गोदामों से ८७ हजार १७ रुपये ९५ पैसे का चालान तथा जाली रिलीज आर्डर पास किये गये और यह दूकानदारों को दिये गये यही बात उस आडिट रिपोर्ट में है जिसका मैं उल्लेख इस आदरणीय सदन के सम्मुख कर रहा हूं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार बतायेगी कि इस तरीके से सरकार को कितने रुपये का नुक्सान हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने तो ८७ हजार बता दिया ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

जिन लोगों ने गोलमाल किया उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जितना सरकार को नुक्सान हुआ वह मैं रकम बता चुका । जिन लोगों के चार्ज में इस तरह की अनियमितता हुई है उनमें एक तो हाट निरीक्षक है । दूसरे हेडक्लर्क हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया है और जिलाधीश और क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक इस मामले की जांच कर रहे हैं । जांच की रिपोर्ट अभी सरकार के पास नहीं पहुंची है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

आडिट रिपोर्ट है, सब चीज है, तो वहां से डी० एम० साहब कब तक रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो वह नहीं कह सकते ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

एक महीना, दो महीने, चार महीने, कुछ तो बतायें ?

श्री अध्यक्ष—

यह सरकार से पूछ लें कि कितने रोज में रिपोर्ट मंगवा लेंगे, वह तो ठीक है । कितने रोज में वह रिपोर्ट भेजेंगे, यह वह नहीं बता सकते ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दो या तीन महीने में यह रिपोर्ट जिलाधीश से मंगा लेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मैंने निवेदन किया कि २–६–७० को यह मामला पकड़ा गया । जिलाधीश को और क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक को आदेश हैं कि जल्द से जल्द वह रिपोर्ट को सरकार के पास भेज दें ।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच सीमांकन

**४—श्री धर्मवीर सिंह (जिला बिजनौर) श्री देवेंद्र सिंह, श्री मोहम्मद असरार अहमद, श्री त्रिलोक चन्द्र, श्री जगबीर सिंह, (जिला बुलन्दशहर), श्री उपेंद्र नाथ (जिला कानपुर), श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी), श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ) तथा श्री आशाराम इन्दु (जिला मेरठ)—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमांकन रेखा का जो मतभेद था १० जून, सन् १९७० के लगभग केंद्रीय सरकार ने तय कर दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री धर्मदत्त)—

बिहार तथा उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम, १९६८ की धारा २(क) के अन्तर्गत भारत सरकार ने ९ जून, १९७० को विज्ञप्ति प्रकाशित करके जून, १९७० के १० वें दिन को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियत दिन नियत कर दिया है। भारत सरकार की विज्ञप्ति की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। इस विज्ञप्ति के फलस्वरूप १० जून, १९७० से बलिया जिले में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा अब नदियों की धारा न रहकर उक्त अधिनियम में वर्णित स्थायी सीमा रेखा हो गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५५० पर)

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार बतलायेगी कि इस मामले के तय होने के बाद कितने गांव उत्तर प्रदेश को तथा कितने बिहार को मिले ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इससे लगभग १९२ गांव प्रभावित हुये हैं । उनमें से ११९ गांव उत्तर प्रदेश को तथा ७३ गांव बिहार को मिले ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

उत्तर प्रदेश ने इस मामले के तय होने से पूर्व कितने गांवों को उत्तर प्रदेश में शामिल होने के लिये मांग की थी ?

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

उत्तर प्रदेश ने यह मांग की थी कि जो धारचूला का नियम है इसको बदल कर एक स्थायी सीमा कर दी जाय और स्थायी सीमा से जो सीमा के इस पार के गांव हैं वे उत्तर प्रदेश को मिल जाते, उससे काफी गांव उत्तर प्रदेश को मिलते ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

इस घोषणा के बाद कि बिहार के गांव से उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के गांव बिहार में मिलेंगे तो उनके सरकारी कागजों की अदलाबदली कब तक हो जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

लिखा-पढ़ी कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी कागजात व नक्शे आ जायं जिससे वहां के रिकार्ड शीघ्र पूरे हो जायं ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

जो गांव बिहार की सीमा से उत्तर प्रदेश में दिये जाने का फैसला केंद्रीय सरकार ने किया है उनमें भी जो कायदे कानून अथवा नियम उत्तर प्रदेश में लागू हैं वे वहां लागू किये गये अथवा नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जैसा कहा गया १० जून को यह फैसला हुआ और जितने नियम व कानून यहां लागू हैं वे सब इनमें किये जायेंगे जो उत्तर प्रदेश के गांव में लागू होते हैं ।

श्री कृष्णचन्द्र—

ये गांव जो बिहार राज्य को दे दिये गये उनको देने के पहले क्या सरकार ने अपने यहां के रहने वालों की राय जानने की कोशिश की ?

श्री अध्यक्ष—

यह फैसला तो भारत सरकार ने किया है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

जो गांव बिहार से उत्तर प्रदेश को मिले हैं क्या सरकार ने उनको पूर्ण रूप से अपने शासन में ले लिया है या अभी नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जो गांव इधर आ गये हैं उन पर पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश के कानून लागू हो गये हैं और यहां की पुलिस भी वहां है ।

श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद)—

वहां के आयोग ने यह निकाला है कि हम इस फैसले को मानने को तैयार नहीं हैं ? अगर ऐसा है तो इस पर क्या निर्णय लिया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह उनके मानने की बात नहीं है। यह तो सेंट्रल के ऐक्ट की है और उसके अनुसार यह तबादला हुआ है। माननीय सदस्य यह पहले की बात कह रहे हैं जब इस पर चर्चा चल रही थी किन्तु जब से यह डिक्लेयर हो गया है तो यह मानने का सवाल नहीं आता है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५७ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

जिला गढ़वाल, अल्मोड़ा तथा टेहरी गढ़वाल में हैजे का प्रकोप

*१—श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल) (अनुपस्थित) तथा श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला गढ़वाल अल्मोड़ा (सल्ट) और टेहरी-गढ़वाल में नैलचामी क्षेत्र में हैजे का प्रकोप फैला हुआ है ? यदि हां, तो १०-५-७० तक कितने केसेज हुये हैं और इसकी रोक-थाम के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री धर्मदत्त—

जिला गढ़वाल, अल्मोड़ा और टेहरी गढ़वाल में १ जनवरी, १९७० से १०–५–७० तक कोई भी व्यक्ति हैजे से प्रभावित नहीं हुआ परन्तु तब भी सभी रोक-थाम के उपाय किए गये।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया वहां हैजे का किसी प्रकार का प्रकोप नहीं था और न ही कोई आदमी हैजे से प्रभावित हुआ है। तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब उस इलाके में किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं थी तो उन्होंने इसकी रोकथाम के लिये क्यों प्रयत्न किये ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

मान्यवर, हर साल इसका प्रबन्ध किया जाता है कि हैजा न फैले। इसीलिये इस वर्ष भी यह प्रबन्ध किया गया कि हैजा न फैल सके।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी मेरी सूचना को आधार मानकर इसकी जांच करवायेंगे कि ग्राम खुमाड़ पट्टी वल्ला सल्ट जिला अल्मोड़ा के श्री भवानीदत्त का ६–५–७० को हैजे की बीमारी के कारण स्वर्गवास हो गया। इसी प्रकार अन्य जगहों पर हैजे से ४–५ व्यक्तियों की मृत्यु हुई। तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री अनवार अहमद—

यदि माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो उसकी जांच करवा ली जायेगी।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न २५–५–७० को सरकार के पास भेजा गया था और इसका उत्तर आज इतने दिनों के बाद भेजा जा रहा है जब कि यह हैजे से सम्बन्धित प्रश्न था और तत्काल ही सदन में पेश किया जाना चाहिए था। तो इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में दवाइयों का गोल-माल

*२—श्री बंशगोपाल शुक्ल (जिला लखनऊ) तथा श्री पन्नालाल (जिला फतेहपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलरामपुर अस्पताल में दवाइयों के सम्बन्ध में ६ लाख रूपये का गोल-माल है तथा जिस रजिस्टर में दवाओं की आमद लिखी जाती है वह गायब है ? यदि हां, तो क्या इसकी खुफिया जांच उच्च अधिकारी के द्वारा की जावेगी ?

श्री धर्मदत्त—

ऐसा कोई गोलमाल नहीं है और न उल्लिखित रजिस्टर गायब है। अतः खुफिया जांच का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बंशगोपाल शुक्ल—

जो सूचना माननीय मंत्री जी ने दी है और जो सूचना मेरे पास है और जो अभी मेरे पास भेजी गई है कि गोलमाल वहां पर नहीं है—रजिस्टर गायब है। तो मैं कौन सी सूचना को सही मान लूं ?

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास जो है उसमें 'नहीं' लिखा है।

श्री धर्मदत्त—

श्रीमन्, जो सूचना है उसमें 'नहीं' होना चाहिए। शायद टाइप की मिस्टेक है।

श्री बंशगोपाल शुक्ल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अगर रजिस्टर गायब नहीं हैं तो वे इसकी खुफिया जांच करवायेंगे?

श्री अनवार अहमद—

मान्यवर, जब रजिस्टर गायब नहीं है तो खुफिया जांच किस बात की करायेंगे?

लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर में अनियमिततायें

*३—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा), श्री जयनारायण सिंह (जिला फतेहपुर), ३—श्री शिवानन्द नौटियाल, ४—श्री राम शिरोमणि दुबे (जिला जौनपुर), ५—श्री सूर्यनाथ उपाध्याय (जिला जौनपुर), ६—श्री दीपनारायण वन (जिला गोंडा) ७—श्री गणेशदत्त वाजपेयी (जिला कानपुर), ८—श्री शीतला प्रसाद सिंह (जिला गोंडा), ९—श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (जिला अलीगढ़), १०—श्री जगदम्बा प्रसाद, ११—श्री रघुनाथ सिंह वर्मा (जिला मैनपुरी), १२—श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर), १३—श्री रघुनाथ सिंह, १४—श्री दीप नारायण मणि (जिला देवरिया), १५—श्री मुहम्मद नबी, (जिला—बस्ती), १६—श्री सी० पी० एन० सिंह, १७—श्री कोरी सुखलाल (जिला इटावा), १८—श्री बलराम सिंह यादव, (जिला इटावा), १९—श्री राजेश्वर सिंह (जिला बरेली), २०—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी), २१—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी), २२—श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी), २३—चौधरी रामपाल सिंह यादव, (जिला कानपुर), २४—श्री शिव लाल (जिला कानपुर) तथा २५—श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या चिकित्सा विभाग के किसी उप-सचिव ने दिनांक ३० मई, १९७० को लाला लाजपति राय चिकित्सालय, कानपुर का आकस्मिक निरीक्षण करके चिकित्सा में प्रयोग होने वाले सामान की खरीद में तथा डेड स्टाक में कोई गड़बड़ी पकड़ी गई? यदि हां, तो वहां क्या-क्या गड़बड़ियां पकड़ी गईं और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है? क्या सरकार कृपा करके यह भी बतायेगी कि उक्त चिकित्सालय के स्टोर के डेड स्टाक का पिछला वेरीफिकेशन कब किया गया? जनवरी, १९६५ से जनवरी, १९७० तक चिकित्सालय में कौन-कौन स्टोर कीपर रहे, तथा श्री बी० पी० मौर्या स्टोर कीपर के स्थानान्तरण के बाद डेड स्टाक का वेरीफिकेशन किसने किया और चार्ज किसने लिया?

श्री धर्मदत्त—

जी हां, स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव ने दिनांक ३० मई, १९७० को लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर के स्टोर का निरीक्षण किया तथा एब्जारबेन्ट रूई की तौल तथा खरीदारी के सम्बन्ध में कुछ अनियमिततायें पायीं जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है। चिकित्सालय के स्टोर के डेड स्टाक का पिछला वेरीफिकेशन अधीक्षक द्वारा मार्च, अप्रैल तथा मई १९७० में विभिन्न तिथियों को हुआ। जनवरी, १९६५ से जनवरी, १९७० तक चिकित्सालय में निम्नलिखित स्टोर कीपर रहे :—

१—श्री आर० पी मौर्य, २—श्री के० एस० यादव, ३—श्री ई० बेन्जीमन, ४—श्री आर० एस० वर्मा, ५—श्री के० एस० मिश्रा।

श्री आर० पी० मौर्य, स्टोर कीपर के स्थानान्तरण के बाद डेड स्टाक का फिजिकल वेरीफिकेशन अधीक्षक द्वारा किया गया और श्री आर० एस० वर्मा को स्टोर कीपर के पद का चार्ज आरजी तौर पर दिलाया गया।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो अनियमिततायें पायी गयीं, क्या सरकार उनकी रिपोर्ट सदन में रखने को तैयार है ?

श्री धर्मदत्त—

सन् ६७ में जो वहां स्टोर कीपर थे उनका वहां से स्थानान्तरण किया गया। उसने चार्ज नहीं दिया। सुप रन्टेन्डेन्ट ने जबरदस्ती उससे चाबियां ले लीं। उसके बाद अनियमितताओं की जानकारी की गयी। जो अनियमिततायें साबित होंगी, उनके बारे में कार्यवाही की जायेगी।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

यह डेड स्टाक कितने रुपये का था, किन-किन आफीसर्स ने उसका वैरीफिकेशन किया और किन-किन अधिकारियों ने इस माल को कब्जे में लिया ?

श्री धर्मदत्त—

स्टाक में जो रुई के बण्डल थे उनको देखा गया, उनको वजन में कम पाया गया और सील कर दिया गया जब सारे स्टाक की जांच हो जायेगी तब मालूम होगा कि उसमें कितनी कमी है, तब किसी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस निथि में स्टाक का वैरीफिकेशन किया गया, उस समय उसमें कौन-कौन सी अनियमिततायें पायी गयीं और किन अनियमितताओं के बारे में कार्यवाही की गई ?

श्री धर्मदत्त—

अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार रुई के बन्डल ४०० ग्राम के होने चाहिये थे लेकिन वह कम रहे। उसको सील कर दिया गया। जब तक पूरे डेड स्टाक और इश्यू स्टाक की जांच न हो जाय तब तक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कितना स्टाक कम है और उसमें कितनी हानि हुई है।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

क्या इस डेड स्टाक का वेरीफिकेशन कभी डायरेक्टर ने भी कराया था ?

श्री धर्मदत्त—

समय-समय पर होता ही रहता है। आडिट भी होता है। लेकिन इससे पहले उसकी जानकारी नहीं हुई।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह फिजीकल वेरीफिकेशन तो हर वर्ष ३१ मार्च तक हो जाना चाहिये लेकिन आप बताते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई तक होता रहा। इसका क्या कारण था और उस वक्त ये अनियमिततायें पकड़ी गयीं या नहीं ?

श्री धर्मदत्त—

जो स्टाक था वह भी दो प्रकार का था। डेड स्टाक का वैरीफिकेशन हुआ लेकिन इश्यू स्टाक का नहीं हो पाया क्योंकि स्टोर कीपर ने चाभी नहीं दी थी, जबरदस्ती ली गई। जानकारी प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने रुपये का माल था ?

श्री धर्मदत्त—

जब यह शिकायत हुई तो ३० मई, १९७० को जो हमारे उप सचिव थे उन्होंने वहां की सारी रुई को देखा और रुई के स्टाक को चेक किया और उसमें से ४ बन्डल लिये जिसमें से २ बण्डल जितना वजन होना चाहिये उससे कम थे। उसके बाद उन्होंने सारा स्टाक सील करा दिया और उसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

१९६५ से १९७० तक वहां स्टोर कीपर रहे और ३० मई, १९७० को उप सचिव ने निरीक्षण किया। तो क्या माननीय मंत्री को जानकारी है कि यह जो देखभाल हुई यह १९६५ से ७० के बीच की है या सिर्फ ७० की है और अगर ६५ से ७० के बीच की है तो उस स्टोर कीपर के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अनवार अहमद—

इन तमाम बातों की जानकारी कराई जा रही है इसलिये अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह गोलमाल किस समय का है। जब उसकी जानकारी हो जायेगी तब पूरा जवाब दिया जा सकेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

उत्तर में जो माननीय मंत्री ने बताया कि यह यह स्टोर कीपर थे तो प्रत्येक का क्या कार्यकाल रहा ?

श्री अनवार अहमद—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किन विशेष परिस्थितियों में सचिवालय से उप सचिव को भेजना पड़ा ?

श्री अनवार अहमद—

इसकी इत्तिला विशेष रूप से मालूम हुई थी और इतना समय नहीं था कि उसको खराब किया जाता उसमें तुरन्त ही कार्यवाही आवश्यक थी इसलिये उप सचिव को भेजना पड़ा।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो रुई के बण्डल खरीदे गये थे वह किन-किन कंपनियों से खरीदे गये थे ?

श्री अनवार अहमद—

सी० के० हास्पिटल सप्लाई कंपनी, भारत सर्जिकल और कानपुर स्टार एजेंसीज से।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

सदर अस्पताल, सीतापुर में स्टाफ तथा शैय्यायें की वृद्धि

*१—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सदर अस्पताल सीतापुर में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या देखते हुए वहां स्टाफ (नर्सेज कम्पाउन्डर, वार्ड ब्वाय) बढ़ाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री धर्मदत्त—

सदर अस्पताल, सीतापुर में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या देखते हुए वहां स्टाफ कम है। इस अस्पताल में मरीजों के लिये शैय्याएं बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत कुछ स्टाफ भी स्वीकृत किया जायगा। आशा है उससे वहां के स्टाफ की स्थिति में सुधार होगा।

*२—श्री रामलाल राही—

क्या सदर अस्पताल में शय्याओं की कमी के कारण मरीजों को जमीन में लिटाया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार सीतापुर सदर अस्पताल में नई शय्यायों की व्यवस्था करेगी ?

श्री धर्मदत्त—

जी हां, सदर अस्पताल, सीतापुर में शैय्याओं की कमी के कारण कुछ मरीजों को अक्सर जमीन पर गद्दा व बिस्तर देकर अस्थायी तौर पर लिटाना पड़ता है और शैय्या खाली होते ही उनको शैय्या देने की व्यवस्था की जाती है। उक्त अस्पताल में २५ शैय्यायें बिना वार्ड निर्माण किये हुए मौजूदा भवन में स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और साथ ही साथ ५० शैय्याओं के वार्ड के निर्माण के लिये विस्तृत प्रस्ताव सिविल सर्जन सीतापुर से मांगा गया है।

श्री रामलाल राही—

मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्टाफ की जो कमी है वह अस्पताल की मौजूदा स्थिति में है। यदि हां, तो इस स्टाफ को कब तक पूरा कर देंगे ?

श्री धर्मदत्त—

डाक्टरों का अभाव है, यथासंभव शीघ्र उसे पूरा करने का प्रयास किया जायगा।

श्री रामलाल राही—

डाक्टरों के अतिरिक्त वार्ड ब्वाय, नर्सेज और कम्पाउन्डर्स की भी क्या कमी है ? यदि हां, तो इनको कबतक पूरा कर देंगे ?

श्री धर्मदत्त—

इस समय वार्ड ब्वाय १३ हैं और जो कुछ कमी होगी उसको भी पूरा करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री रामलाल राही—

सदर अस्पताल, सीतापुर में शैय्याओं की जो कमी है और मरीज जमीन पर लेटाये जाते हैं तो इस कमी और कठिनाई को ध्यान में रखते हुए २५ शैय्याओं की जो बात चल रही है वह कब तक पूरी कर देंगे ?

श्री धर्मदत्त—

मान्यवर, निश्चित समय नहीं बतलाया जा सकता। जितनी जल्दी हो सकेगी किया जायगा।

श्री रामलाल राही—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो ५० शैय्याओं का वार्ड बनाने जा रहे हैं इसके लिये अस्पताल के अधिकारियों ने लिख कर भेजा था या सरकार ने स्वयं बनाने के लिये महसूस किया और यदि ऐसा है तो वार्ड कब तक बनाने की सरकार आशा कर रही है ?

श्री अनवार अहमद—

चालू वर्ष में ३०० से लेकर ६०० शैय्याएं बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सिविल सर्जन से इसके लिये प्रस्ताव मांगे गये थे।

बहराइच जिले में ग्रामीण क्षेत्र में फुटकर शक्कर विक्रेता तथा उनका रिकार्ड गायब होना

*३—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या खाद्य एवं पूर्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बहराइच के देहाती क्षेत्र में शक्कर के कुल कितने फुटकर विक्रेता हैं, उनके नाम क्या हैं और उनमें १ जून, १९६९ से सितम्बर, १९६९ तक अलग-अलग महीनों में किन-किन को शक्कर के बोरों के स्पेशल कोटा जिलापूर्ति अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये गये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

कुल १८५ फुटकर शक्कर विक्रेता हैं। वांछित सूचना सदन की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५५१–५५६ पर)

*४—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या खाद्य एवं पूर्ति मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में की गई अपनी जांच में जिलाधिकारी, बहराइच ने यह पाया कि उपर्युक्त महीनों में स्पेशल कोटा पाने वाले १३ विक्रेताओं के पिछले सभी रिकार्ड गायब थे ? यदि हां, तो जिलाधिकारी की राय में रिकार्ड गायब होने के कारण क्या हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह सत्य है कि १३ फुटकर शक्कर विक्रेताओं के पिछले रिकार्ड गायब हो गये थे किन्तु जांच स्वयं जिलाधिकारी ने नहीं की थी वरन् यह जांच पूर्ति निरीक्षकों द्वारा कराई गई थी। जांच के परिणामस्वरूप पता चला कि एक विक्रेता का झोला जिसमें रेकार्ड थे नाव पर से नदी में गिर गया, दूसरे का झोला जिसमें प्रश्नगत रजिस्टरों के अतिरिक्त अन्य समान भी था स्टेशन पर चोरी हो गया, तीसरे का रजिस्टर का कोटा कार्ड दुकान से चोरी हो गया था और शेष १० फुटकर विक्रेताओं के रेकार्ड उसके कथनानुसार बाढ़ में नष्ट हो गये थे। इनमें से ५ दुकानदारों

के संबंध में यह प्रमाणित हो चुका है कि मकान बाढ़ में गिर गये। शेष पांच के कथन प्रमाणित नहीं हो सके। इनमें से एक की दुकान निरस्त कर दी गई है और चार की दुकान निलम्बित की गई है और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मंत्री जी क्या यह बतायेंगे, कि जो यह एक लम्बी चौड़ी फेहरिस्त है उसर की, जिन लोगों को एक भी बोरी कोटा नहीं दिया गया उन लोगों ने भी दरख्वास्तें दी थीं या नहीं।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय जिले में सभी जगह यह सूचना दे दी गई थी कि चीनी का स्टाक है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मंत्री जी को आदेश दें कि वह सदन के समय का ख्याल रखें और साथ ही यह बतायें कि उन लोगों ने भी दरख्वास्तें दी थी या नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जिन लोगों ने दरख्वास्तें दीं उन्हीं लोगों को कोटा दिया गया। अदालती पंचायतों के क्षेत्रों से मांग आयी और उन क्षेत्रों को शकर दी गयी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, क्या मंत्री जी को यह पता है कि जिनकी फेहरिस्त है इन लोगों ने दरख्वास्तें दी नहीं और आप वैसे ही जवाब दे रहे हैं। क्या मंत्री जी को मालूम है कि उनकी भी दरख्वास्तें फाइल में नत्थी हैं जिनको बिलकुल कोटा नहीं दिया गया। आप देखें, मान्यवर कि कुल ६०, ७० आदमियों को विशेष रियायत मिली है।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जिन क्षेत्रों के प्रधानों ने मांग की उन्हीं क्षेत्रों के फुटकर विक्रेताओं को यह विशेष कोटा दिया गया। चूंकि थोक का कोटा जो थोक के व्यापारी थे उन्हीं के पास अपर्याप्त था, इसलिये प्रचार कराया गया और जिन्होंने दरख्वास्तें दीं उनको कोटा दिया गया।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो कोटा वितरित किया जाता है उसके लिये पूर्व अनुमति डी० एम० की होनी चाहिये या सरकार की होनी चाहिये, लेकिन इन कोटों के वितरण में न तो डी० एम० से अनुमति ली गई और न सरकार से ही अनुमति ली गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी नहीं, जिलाधीश को अधिकार है कि अगर स्टाक है तो वह अपने अधिकार से कोटा दे सकता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, हम सवाल कुछ पूछते हैं और यह जवाब कुछ देते हैं। जैसा कि नियम है कि कोटा वितरण के पहले डी० एम० या शासन की पूर्व अनुमति होनी चाहिये। तो इस कोटे के लिये पूर्व अनुमति डी० एम० या शासन की थी या नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां। बगैर अनुमति के नहीं बांट सकते थे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मंत्री जी यह जवाब देते हैं कि बिना अनुमति के नहीं बांट सकते। उनको जानकारी हो तो कहें, नहीं तो कहें कि सूचना चाहिये।

श्री बल्देवसिंह आर्य—

मैंने जानकारी के आधार पर ही यह बात कही है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न संख्या ५ व ६.... (व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, कोई मजाक है जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं आगे बढ़ गया हूं। अब मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

डी० सी० ओ० मेरठ के रहने वाले हैं जो जाट हैं इनके खिलाफ.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मुझे सवाल पूछने दीजिए। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि भ्रष्टाचार के जहां मामले हों हजारों रुपये का मामला है तो आपको गुस्सा आता है या नहीं? और आता है तो.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

भ्रष्टाचार का आपने कोई प्रश्न नहीं उठाया। जब सवाल का जवाब आ गया और मैं आगे बढ़ गया तो अब इजाजत नहीं देता हूं। (व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मेरा आप निवेदन सुन लें। चाहे जो कुछ हो मैं यह मामला चलने नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप सदन छोड़िए। आप यदि सदन नहीं छोड़ते हैं तो मैं इंगित करूंगा। आप कृपा कर बैठिए।

श्री अन्तराम जायसवाल—

मैं नहीं बैठूंगा। आप चाहे जो कुछ करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको इंगित करता हूं। (व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि श्री अनन्तराम जायसवाल को सदन की सेवा से तीन दिन के लिये निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री अनन्तराम जायसवाल को सदन की सेवा से तीन दिन के लिये निलम्बित किया जाय ।

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई ।)

(विभाजन की घंटी बजते समय घोर व्यवधान के मध्य)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन्, जहां तक विधेयक आदि पर डिवीजन होने का संबंध है और सदन में अव्यवस्था न होने देने का संबंध है और उसके लिये कोई सदस्य डिवीजन की मांग करे, जैसा कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने ३ दिन का निलम्बन प्रस्ताव श्री जायसवाल के विरुद्ध रखा, तो मान्यवर उसका रूप यह होता है.....

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप बोलिये ।

श्री कृष्णानन्द राय—

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर कोई अव्यवस्था होती है, तो उसको नियंत्रित करने के लिये २–३ तरीके अपनाये जाते हैं, आप इंगित करें, निकाल दें या जो कुछ करें, तो श्रीमन्, डिवीजन की मांग अगर की जाती है तो उसी समय होनी चाहिये । ५–५ मिनट तक दरवाजे खुले रहते हैं और.....

श्री अध्यक्ष—

केवल ३ मिनट ।

श्री कृष्णानन्द राय—

मान्यवर, उस समय जो सदस्य मौजूद रहते हैं उसी पर आप निर्णय क्यों नहीं करते । श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इंगित कर दिया और मुख्य मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा, तो श्रीमन्, इस विधान सभा के इतिहास को कलंकित मत कीजिये, यह काला चैप्टर होगा ।

(घोर व्यवधान)

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है, उस पर आप ठण्डे दिमाग से विचार कीजिये और वापिस ले लीजिए । १–२ दिन की असेम्बली और रहेगी, फिर माननीय चौधरी साहब चाहे किसी को मारें, जेल भेजें या फांसी दें, श्रीमन्... ।

(व्यवधान)

मान्यवर, कम से कम आप तो इस विधान सभा के इतिहास को कलंकित होने से बचाएं । श्रीमन्, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सारे नियम को ताक पर रखकर सोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री जायसवाल को आप काले आदेश से निलम्बित करने जा रहे हैं, इसमें तो आप भी कलंकित हो जायेंगे ।

(व्यवधान—शोर)

(घंटी बन्द होने पर प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और विभाजन की प्रक्रिया आरंभ हुई)

(राज्यपाल महोदय की दीर्घा से श्री जगदीश गांधी व श्री त्रिवेणी सदन में आने का प्रयास करते देखे गये ।)

श्री रामविलास पांडे (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, तीन-चार सदस्य कूद कर आये हैं वोट देने के लिये।

(काफी शोर के बीच विरोधी पक्ष से चरण सिंह मुर्दाबाद के नारे सुनाई दिये)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, मैं श्री त्रिवेणी राय के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाता हूं।

(सदन में बहुत शोर होने लगा और घोर व्यवधान के मध्य कुछ सदस्य प्रेस दीर्घा से कूद कर सदन में आये) ;

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

यहां पर इस समय प्रक्रिया नियमावली के अनुसार कोई भी कार्य नहीं चल रहा है। चौधरी साहब ऐसा कार्य करने लग गये हैं जिससे मालूम होता है कि उनकी अक्ल चरने चली गई।

(शोर)

(व्यवधान)

श्री अशफाक अहमद ने यहां पर जाली दस्तखत किये। उनका मामला अभी पड़ा हुआ है। उनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

त्रिवेणी राय जी उधर गैलरी से कूद कर आ रहे थे उन्होंने उधर से फांदने की कोशिश की। मैं उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

इधर से ३, ४ आदमी कूद कर अन्दर आये हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

अभी माननीय मुख्य मन्त्री सौभाग्यवती जी को धमकाने का प्रयत्न कर के दस्तखत करने के लिये कह रहे थे लेकिन वह नहीं गईं। यह हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है। यहां पर चौधरी साहब को इंगित करना चाहिये।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं और वह यह है कि अभी मतदान चल रहा है और प्रेस गैलरी से कुछ लोग सदन में कूदकर आये हैं, वह गार्ड्स के रोके नहीं रुके, इस को आप ने भी अपनी आंख से देखा है.....

श्री अध्यक्ष—

यह आप खुद बाद में उठाइयेगा.....

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय—

यह जो मतदान हुआ है इस को मैं चैलेन्ज करता हूं यह सब फर्जी हुआ है, उधर के दरवाजे खुले हैं और लोग उधर से घुसे हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप वहां जा कर देख लें।

श्री कृष्णानन्द राय—

आप इस फर्जी मतदान पर किसी को निकाल नहीं सकते।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, जो भी निर्णय सदन का होगा वह तो मैं शिरोधार्य करूंगा ही क्योंकि मैं तो नियमों को मानने वाला आदमी हूं।

(सदन में दोनों पक्ष से काफी व्यवधान होता रहा)

श्री अध्यक्ष—

जब वोटिंग हो रही हो, उस समय और कुछ नहीं कहा जा सकता। इस समय कोई भी माननीय सदस्य नहीं बोल सकता है। केवल विभाजन से संबंधित यदि कोई बात हो तो उसको कहा जा सकता है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मैं विभाजन से संबंधित शिकायत करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

उसको आप लिखित दें।

लिखित* विभाजन का परिणाम इस प्रकार :—

पक्ष में .. ११५,

विपक्ष में .. ११७।

अतः यह प्रस्ताव गिर गया।

(अत्यन्त शोर)

पक्ष में—११५

अजबसिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनवार अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गोपालदत्त, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री

---

*विभाजन की समस्त कार्यवाही श्री अध्यक्ष द्वारा अपने कक्ष से ४ जुलाई, १९७० को दिये गये निर्णय के अनुसार निरस्त कर दी गई।

(निर्णय के लिये देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ ५६०–५६२ पर।)

जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
त्रिलोकचन्द, श्री
दल सिंगार, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फर नगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल , श्री (जिला जालौन)
बिशन लाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
माखनलाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मुस्तफा कामिल, किदवाई, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह वर्मा, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामनिहोर, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़-फूलपुर)
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालसा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
बीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शिवकुमार , श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिवपाल सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)

विपक्ष में—११७

अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
गंगा प्रसाद श्री (जिला एटा)
गया प्रसाद, श्री
चंचल सिंह, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगननाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जमादार, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला मोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुलारे लाल, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मवीर, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्रताप नारायण, श्री
वंशीधर पांडेय, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बांकेलाल, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगेलू सिंह, श्री
भाभी, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मनसाराम, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महरम सिंह, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामसिंह, श्री
राम हरख, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री

शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडेय, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तू, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)

जौनपुर जिले में चपरासियों की सेवा समाप्ति तथा उन्हें वेतन न मिलना

*५—श्री सूर्यनाथ—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के परिवार नियोजन केन्द्रों पर काम करने वाले चपरासियों को माह नवम्बर, सन् १९६५ ई० के अन्तिम सप्ताह में अकारण ही उन्हें उनकी सेवाओं से मुक्त कर दिया गया था ?

श्री धर्मदत्त—

सरकार ने इन चपरासियों के पद समाप्त कर दिये थे जिस कारण वश इन चपरासियों की सेवायें नवम्बर, १९६५ में समाप्त कर दी गईं।

*६—श्री सूर्य नाथ—

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उन चपरासियों को १ नवम्बर, १९६५ से उनकी सेवा निवृत्ति की तिथि तक का वेतन उन्हें दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्म दत्त—

जी हां। मामला विचाराधीन है।

सदर अस्पताल, प्रतापगढ़ के विरुद्ध शिकायत

*७—श्री रामदेव तथा कुंवर तेजभान सिंह (जिला प्रतापगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत रामापुर ग्राम में ४ अप्रैल, १९७० को एक घर में भीषण अग्निकांड के फलस्वरूप एक मृतप्राय युवक सदर अस्पताल, प्रतापगढ़ तथा उसके बाद मेडिकल कालेज, इलाहाबाद दवादारू के लिये भेजा गया किन्तु इलाहाबाद में उसकी मृत्यु हो गई, क्या दिनांक ८ अप्रैल, १९७० ई० को उपमंत्री श्री रामकिंकर जी को रामापुर की जनता ने सदर अस्पताल, प्रतापगढ़ के सम्बन्ध में कुछ शिकायत करते हुये एक पत्रक दिया था ? यदि हां, तो उसमें अभी तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अनवार अहमद—

श्री लाल प्रभाकर नाम का एक युवक भीषण रूप से जले होने के कारण मृतप्राय अवस्था में दिनांक ४ अप्रैल, १९७० के रात में ८.४० बजे जिला अस्पताल प्रतापगढ़ लाया गया था। तात्कालिक चिकित्सा करने के उपरान्त उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। करीब एक घंटे बाद वह व्यक्ति बिना सूचना दिये ही अस्पताल छोड़ कर चला गया और उसी रात लगभग

११.२० बजे इलाहाबाद के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में भर्ती हुआ। वहां के चिकित्सकों के हर सम्भव प्रयास करने पर भी वह न बचाया जा सका और उसी रात १२ बजकर २५ मिनट पर उसकी मृत्यु हो गई। उपमंत्री श्री राम किंकर जी को जो शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था उन्होंने वहीं उसका निस्तारण कर दिया था।

प्रतापगढ़ जिले में राजकीय अस्पताल

*८—श्री राम देव तथा श्री कुंवर तेजभान सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद में कितने राजकीय अस्पताल हैं और कितनों में डाक्टर हैं तथा कितनों में अनेक वर्षों से डाक्टर नहीं है? क्या सरकार शीघ्र डाक्टरों की व्यवस्था करेगी ?

श्री अनवार अहमद—

प्रतापगढ़ जिले में बीस राजकीय चिकित्सालय हैं। उन्नीस चिकित्सालयों में डाक्टर हैं तथा एक चिकित्सालय में इस समय डाक्टर नहीं है। डाक्टर शीघ्र भेजने की व्यवस्था की जायगी।

जिला सीतापुर में नसबन्दी के विरुद्ध शिकायतें

*९—श्री रामलाल राही—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला सीतापुर में रेवेन्यू अधिकारियों में जिलाधिकारी सहित, को जनवरी, १९६९ से ३० अप्रैल, १९७० तक कितने ऐसे प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं जिसमें नसबन्दी किये गये गरीब लोगों ने यह शिकायत की है कि उन्हें ग्राम समाज की जमीन देने की लालच देकर नसबन्दी कराई गई और अब नसबन्दी होने के बाद जमीनें नहीं दी जा रही हैं या नहीं दी गई हैं ?

श्री अनवार अहमद—

जिला सीतापुर में प्रश्नगत अवधि में न तो जिलाधीश ने और न किसी रेवन्यू अधिकारी ने कोई ऐसे प्रार्थना-पत्र प्राप्त किए हैं।

बस्ती जिले के सहायक विकास अधिकारी सहकारिता का बकाया वेतन

*१०—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के कितने सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) को १ अप्रैल, १९६६ से मार्च, १९७० तक नये वेतन-क्रम के अनुसार वेतन की धनराशि बकाया है ?

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

१ अप्रैल, १९६६ से मार्च, १९७० तक नये वेतन-क्रम के अनुसार बस्ती जनपद में केवल एक सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) का मार्च, १९६६ से जून, १९६६ तक की अवधि का कुल ९३.३५ रु० के बकाया वेतन का भुगतान अवशेष है।

नसबन्दी कराये गये व्यक्तियों की पुनः नस जोड़ना

*११—श्री प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट (जिला झांसी) तथा श्री सिया राम (जिला एटा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में वर्ष, १९६७–६८, १९६८–६९ तथा १९६९–७० में कितने नसबन्दी कराये गये व्यक्तियों की पुनः नस (रियूनियन आफ वास) जोड़ी गई और इनमें से कितनों को सफलता मिली ?

श्री अनवार अहमद—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

क्रय-विक्रय समिति, सिरसा, इलाहाबाद के मंत्रियों का स्थानान्तरण तथा साधारण सभा की बैठक

*१२—श्री विश्राम दास (जिला इलाहाबाद)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, १९७० से अप्रैल, १९७० तक क्रय-विक्रय समिति, सिरसा, इलाहाबाद के कितने सचिव (मंत्री) का स्थानान्तरण किया गया ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

उक्त अवधि के दरमियान समिति के एक ही सचिव का स्थानान्तरण किया गया ।

*१३—श्री विश्राम दास—

क्या सहकारिता मंत्री को यह ज्ञात है कि क्रय-विक्रय समिति, सिरसा, इलाहाबाद का आज तीन वर्ष से वार्षिक जलसा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

क्रय-विक्रय समिति सिरसा का अंतिम वार्षिक जलसा २५-५-६८ को हुआ था । इस जलसे के बाद दिनांक २७-७-६८ को संचालक मंडल के चार सदस्य हटाये गये, और उनके स्थान पर नये सदस्य चुन लिये गये । असंतुष्ट गुट ने निर्णय हेतु मामला सालिस को प्रेषित किया जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील की गई जिसका निर्णय १८-१२-६९ को दिया गया । नये सहकारी अधिनियम, १९६५ के अन्तर्गत समिति की साधारण सभा १८-३-७० को बुलाई गई परन्तु निर्णयों के विरुद्ध वादी के जिलाधीश के न्यायालय में चले जाने के कारण समिति की साधारण सभा नहीं की जा सकी है ।

महमूदाबाद, जिला सीतापुर में दाल के बोरों का पकड़ना

*१४—श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, सन् १९६९ में सीतापुर जिले के कस्बे महमूदाबाद में ४२ बोरा दाल अरहर मार्केटिंग इन्सपेक्टर द्वारा पकड़ी गई थी, मामला पुलिस को दिया गया था परन्तु दिनांक ५ मई, १९७० तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह सही है कि अरहर के बोरे दिनांक २८ जून, १९६९ को मार्केटिंग इन्स्पेक्टर द्वारा कस्बे महमूदाबाद, जिला सीतापुर में पकड़े गये और २९ जून, १९६९ को मामला पुलिस में दे दिया गया । पुलिस द्वारा अभी जांच पूरी नहीं हो पाई है । तफ्तीश जारी है ।

कुछ अस्पतालों में नर्सिंग स्कीम लागू न होना

*१५—श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे जिला अस्पताल हैं जिनमें अभी तक नर्सिंग स्कीम लागू नहीं की गई है और क्यों ?

श्री अनवार अहमद—

उत्तर प्रदेश के २६ जिला अस्पतालों में अभी तक पूर्ण रूप से नर्सिंग स्कीम लागू नहीं की गयी है और उक्त २६ में से २४ जिला अस्पतालों में नर्सिंग स्कीम आंशिक रूप से लागू की जा चुकी

है। शेष दो जिला अस्पतालों में नर्सिंग स्कीम अभी लागू नहीं की गयी है। कारण यह है कि उक्त योजना एक पर्वबद्ध कार्यक्रम (फज्ड प्रोग्राम) के अनुसार एवं धन के उपलब्ध होने की व्यवस्था में ही की जाती है।

अस्पतालों में एक्सरे टैक्नीशियन की कमी

*१६—श्री उमाशंकर शुक्ल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे जिला अस्पताल हैं जिनमें एक्सरे प्लान्ट हैं किन्तु टेक्नीशियन नहीं है ?

श्री अनवार अहमद—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बलरामपुर अस्पताल का रोगियों पर बकाया पैसा

*१७—श्री भानु प्रताप सिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ११ मई, १९७० तक बलरामपुर अस्पताल का कितना पैसा विधायकों, मन्त्रियों, भूतपूर्व विधायकों, भूतपूर्व मंत्रियों पर बकाया है और अभी तक वसूल न होने के क्या कारण हैं ?

श्री अनवार अहमद—

कुल १७,३९२ रुपया ९१ पैसा बकाया हैं जिसे रोगियों की बकाया धनराशि चुकाने के सम्बन्ध में उदासीनता, अनिच्छा एवं टालने की प्रवृत्ति के कारणों से अभी तक वसूल नहीं किया जा सका है तथापि बकाया धनराशि की वसूली के लिये प्रयत्न जारी हैं।

स्वास्थ्य विभाग में महिला मंगल योजना की महिला कर्मचारियों को वेतन वृद्धि न मिलना

*१८—श्री गोविन्द सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला मंगल योजना जिसे सन् १९६७ में संविद सरकार ने समाप्त किया था उसमें से जिन महिलाओं को स्वास्थ्य विभाग में जगह दी गई अभी तक उनका इन्क्रीमेंट नहीं लगा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अनवार अहमद—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

[२० जून, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

*१–२—श्री जगदीश गांधी—

[१२ वे मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३—श्री रामगोपाल संड—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

*४—श्री राम गोपाल संड—

[१२ वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

*५–६—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[१२वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

जवाहर मेमोरियल कालेज, सिरसी, जिला मुरादाबाद के नाम की दुकान का निलम्बन

*७—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या रसद मंत्री को मालूम है कि दिनांक ४ सितम्बर, १९६९ को जवाहर मेमोरियल कालेज, सिरसी, जिला मुरादाबाद के नाम की दूकान की बारह बोरी शकर तहसीलदार, सम्भल ने ब्लैक में बिकती हुई पकड़ी थी ? उस दूकान के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। ब्लेक में बिकती चीनी पकड़े जाने के बाद दुकान तत्काल निलम्बित कर दी गयी थी और ब्लेक में जो चीनी पकड़ी गयी थी उसको कब्जे में करके सुपुर्दगी में दे दी गयी। दो कर्मचारी जो उस दुकान पर काम करते थे उनको कालेज ने दुकान से हटा दिया। चूंकि दुकान संस्था के नाम थी इसलिये जिलाधिकारी ने उसको बहाल कर दिया।

जिला मुरादाबाद में गेहूं क्रय करने हेतु सेन्टर

*८—श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में गेहूं की खरीदारी के लिये राज्य के कौन-कौन सेन्टर नियुक्त किये हैं और कहां-कहां कार्य शुरू हो गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

१९७०-७१ की रबी फसल के गेहूं की खरीदारी इस प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जा रही है। जिला मुरादाबाद में खोले गये क्रय केन्द्रों की, जहां कार्य हो रहा है, सूची सदन की पटल पर है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५५७ पर)

*९-१०—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[१२ वे मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

ट्रैक्टर फैक्टरी की स्थापना

*११—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्रैक्टर की संभावित मांग प्रदेश में क्या है और उसकी पूर्ति के लिये क्या वे किसी ट्रैक्टर फैक्टरी के निर्माण के सम्बन्ध में प्रयास कर रहे हैं ? यदि हां, तो वे प्रयास क्या हैं ?

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

प्रदेश में १ लाख २५ हजार ट्रैक्टरों की सम्भावित मांग है उसकी पूर्ति हेतु ट्रैक्टर फैक्टरी के निर्माण के सम्बन्ध में प्रयास किया जा रहा है और आर्थिक तथा तकनीकी सहायता किसी अन्य देश से दिलाये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है।

जिला परिषद् बलिया द्वारा सहतवार-हल्दी सड़क का निर्माण में धन का दुरुपयोग

*१२—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९६४-६५ के आस-पास बलिया जिला परिषद् द्वारा जनशक्ति योजना के अन्तर्गत सहतवार हल्दी सड़क का नव-निर्माण हुआ है ? यदि हां,

तो अब तक इस सड़क पर कितना व्यय दिखाया जा चुका है और इस सड़क के नव-निर्माण के लिये कुल कितना रुपया उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है ?

श्री शिवराज सिंह—

अक्तूबर, १९६४ में ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत जिला परिषद् बलिया द्वारा सहतवार-हल्दी सड़क का नव निर्माण प्रारम्भ हुआ है। योजना प्रारम्भ से ३१ मार्च, १९७० तक इस सड़क पर रु० २,१२,८८५.८४ व्यय हुआ है।

इस सड़क के लिये ग्रामीण जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत कुल ४.७२ लाख रुपये की प्राविधिक स्वीकृत है।

*१३—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री को यह जानकारी है कि इस सड़क को केवल फर्जी तौर से निर्मित दिखाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि नहीं तो क्या इस तथ्य की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा करायेंगे ?

श्री शिवराज सिंह—

इस सड़क पर निर्माण कार्य हुआ है और अब भी प्रगति में है। अतः फर्जी तौर से निर्मित दिखाकर सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया गया है। इस सड़क का निरीक्षण जिले के तथा विभाग के उच्च प्राविधिक अधिकारियों ने स्वयं किया है।

गुप्तचर विभाग द्वारा उक्त तथ्य की जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

*१४—श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री बांके लाल—

[१२ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१५—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[१२ वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

केसा कर्मचारी सहकारी समिति, कानपुर में गबन

*१६—श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि कानपुर की केसा कर्मचारी सहकारी संघ समिति में ७ लाख रुपये का गबन हुआ है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या अपराधी पकड़े गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

केसा कर्मचारी सहकारी समिति, कानपुर में लगभग साढ़े चार लाख रुपया के सम्भावित गबन की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक १५-१२-६९ को पुलिस में लिखा दी गई है। मामला इस समय स्थानीय स्पेशल इन्वेस्टीगेशन स्टाफ (एस० आई० एस०) की जांच में है।

अपराधियों के पकड़े जाने की कोई सूचना अभी तक एस० आई० एस० से प्राप्त नहीं हुई है।

सहकारिता विभाग के मण्डलीय कार्यालयों में नियुक्त आशुलिपिकों के वेतन में भिन्नता

*१७—श्री शिवनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारिता विभाग में मण्डलीय स्तर स्थित कार्यालयों में जो आशुलिपिक कार्य कर रहे हैं उनके वेतन-क्रम भिन्न-भिन्न हैं ? यदि हां, तो क्यों?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां, विभाग के ५ मण्डलों (फैजाबाद, गोरखपुर, आगरा, नैनीताल एवं झांसी) के आशुलिपिकों के वेतन-क्रम अन्य मंडलीय आशुलिपिकों के वेतन-क्रम से भिन्न है ।

जब उक्त ५ नये मंडलों का सृजन हुआ तब नव सृजित मंडलीय अधिकारियों के आशुलिपिकों के लिये अन्य विभागों के मंडलीय स्तर के अधिकारियों के आशुलिपिकों को मिलने वाले वेतन-मान के अनुसार ही वेतन-मान दिये जाने का निश्चय लिया गया ।

स्टेट एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश द्वारा ट्रैक्टरों का वितरण

*१८—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि १ अप्रैल, १९६९ से ३० अप्रैल, १९७० तक कितने ट्रैक्टर किसानों को स्टेट एग्रो एन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये हैं और इस समय कितने प्रार्थना-पत्र डिवीजनवार विचाराधीन हैं?

श्री शिवराज सिंह—

१ अप्रैल, १९६९ से ३० अप्रैल, १९७० तक किसानों को स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन उत्तर प्रदेश द्वारा १७८३ टैक्टर दिये गये हैं । निगम के मुख्यालय में इस समय १३,८६८ प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं, जिनका मंडलवार विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५५८ पर)

*१९–२०—श्री बांके लाल, श्री रामधारी शास्त्री, श्री शिव प्रसाद पांडिया, श्री प्यारे लाल, श्री श्याम लाल कनौजिया श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रियासत हुसैन—

[१२ वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये ।]

*२१—श्री राम चन्द्र विकल—

[१२ वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया ।]

*२२—श्री मंजूर अहमद—

[१३ वें गुरुवार के प्रश्न सं० ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

कृषि निदेशालय के मुख्य लेखाधिकारी को एक्सटेन्शन

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि चीफ एकाउन्टेन्ट आफिसर कृषि विभाग, लखनऊ को रिटायर करने के आदेश चार साल के पूर्व हुए थे? यदि हां, तो उक्त आदेश का क्या हुआ और फिर उन्हें एक्सटेन्शन देने का कारण क्या है ?

श्री शिवराज सिंह—

कृषि निदेशालय के मुख्य लेखाधिकारी को ५५ वर्ष की आयु प्राप्त होने पर सेवा निवृत किये जाने के लिये तीन महीने की नोटिस दिनांक ११ अप्रैल, १९६८ को प्रसारित की गयी थी। संबंधित अधिकारी ने उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध श्री राज्यपाल को संबोधित प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जिस पर पूर्ण विचार करने के उपरान्त श्री राज्यपाल महोदय ने अपने आदेश दिनांक ३० जून, १९६८ द्वारा प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुये उक्त अधिकारी को ५८ वर्ष की आयु तक राज्य सेवा में बने रहने की अनुमति प्रदान की।

*२४–२५—श्री सम्भू नाथ चौधरी—

[१२वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

*२६—श्री महरम सिंह—

[निस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

राजकीय अस्पताल, कोन चोपन–मिर्जापुर का भवन निर्माण

*२७—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय अस्पताल, कोन (चोपन-मिर्जापुर) के भवन निर्माण की योजना है? यदि हां, तो निर्माण कब प्रारम्भ होगा?

श्री अनवार अहमद—

जी हां। किन्तु यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि प्रस्तावित निर्माण-कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायगा।

राबर्ट्सगंज में महिला अस्पताल खोलने की योजना

*२८—श्री सूबेदार तथा श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा [illegible] राबर्टसगंज (मिर्जापुर) में महिला अस्पताल के निर्माण की योजना है? यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब से प्रारम्भ हो जायगा?

श्री अनवार अहमद—

राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर में, पृथक महिला अस्पताल भवन के निर्माण की कोई योजना नहीं है, बल्कि वहां पर एक संयुक्त अस्पताल भवन के निर्माण की योजना है जिसमें महिला चिकित्सालय भी सम्मिलित है। यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि प्रस्तावित निर्माण-कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायगा।

मिर्जापुर के पिछड़े-क्षेत्रों में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलना

*२९—श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री धूम प्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर के पिछड़े क्षेत्र भरहरी (चोपन) रामपुर तथा बैनी (चतरा) में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने पर विचार कर रहे हैं?

श्री अनवार अहमद—

जी नहीं।

*३०—श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री रामकुमार शास्त्री, श्री बंशीधर पांडेय तथा श्री कल्पनाथ सिंह—

[१२वें गुरुवार के प्रश्न संख्या ८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*३१—श्री अनन्तराम जायसवाल, श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री बांके लाल, श्री राम करन, श्री मंजूर अहमद, श्री रामचन्द्र विकल तथा श्री गोविन्द सिंह—

[१०वें सोमवार के प्रश्न संख्या ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

संचालक-मण्डल, खेड़ा तिसौली साधन सहकारी समिति, जिला मेरठ के विरुद्ध डिग्री

*३२—श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ) तथा श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि खेड़ा-तिसौली साधन सहकारी समिति, जिला मेरठ के संचालक मण्डल के विरुद्ध ए० आर०, मेरठ के गत वर्ष ३०,००० रु० की डिग्री हुई है ? यदि हां, तो आज तक वसूली क्यों नहीं की गयी ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

खेड़ा तिसौली साधन सहकारी समिति, जिला मेरठ के संचालक मण्डल के विरुद्ध आरबी-ट्रेटर द्वारा ११,३०० रु० की डिग्री की गयी थी, जिसमें से १० केस मु० ९,९५० रु० के अपील के बाद रिवीजन में चल रहे हैं और शेष ५ केस में १,३५० रु० के अपील में, विचाराधीन हैं । अतः अभी वसूली का प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय सहकारी समिति डासना, जिला मेरठ में गबन

*३३—श्री प्यारे लाल तथा श्री शिव प्रसाद पांडिया—

क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि डासना कोआपरेटिव सोसाइटी, जिला मेरठ के भूतपूर्व सुपरवाइजर एल० एस० एस० पर १२,००० रु० का गबन साबित महकमें के सुपरवाइजर के द्वारा हुआ है ? यदि हां, तो फिर उक्त सुपरवाइजर क विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

क्षेत्रीय सहकारी समिति लि०, डासना, जिला मेरठ में १२ हजार रुपये का कोई गबन भूतपूर्व पर्यवेक्षक के विरुद्ध साबित नहीं हुआ है । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

*३४–३५—श्री उमानाथ सिंह—

[१२वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये ।]

*३६—श्री विश्वनाथ कपूर—

[१३वें शुक्रवार के प्रश्न संख्या १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*३७—श्री शिवकुमार—

[१२वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया ।]

*३८—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

*३९–४०—डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया—

[१२वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये ।]

फाफामऊ सहकारी क्रय-विक्रय समिति, जिला इलाहाबाद में गबन

*४१—श्री राम पूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद के क्रय-विक्रय सहकारी समिति फाफामऊ में लाखों रुपया का गबन सिद्ध हुआ है यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

फाफामऊ सहकारी क्रय-विक्रय समिति में अब तक ६३,८४८.०६ रु० का गबन प्रकाश में आया है। इस गबन के सम्बन्ध में श्री अम्बिका प्रसाद, तत्कालीन मंत्री-व्यवस्थापक तथा श्री मोहन लाल गुप्ता, लेखाकार एवं गोडाउन कीपर को निलम्बित कर दिया गया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गयी है। समिति का सम्प्रेक्षण एवं सहकारी समिति अधिनियम की धारा ६५ व ६८ के अन्तर्गत जांच भी करायी जा रही है।

*४२—श्री मंजूर अहमद तथा श्री मोती लाल देहलवी—

[११ वें मंगलवार के प्रश्न संख्या ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*४३—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[१२वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

*४४-४५—श्री नरेन्द्र सिंह—

[१२वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

*४६—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन—

[१२वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

अलीगढ़ में लगी प्रदर्शनी में फैमिली प्लानिंग कैम्प पर व्यय

१—श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि जनवरी सन् १९७० में अलीगढ़ में लगी प्रदर्शनी में फेमिली प्लानिंग का जो कैम्प लगा था उस पर कितना रुपया खर्च हुआ और उसका विवरण क्या है ?

श्री अनवार अहमद—

जनवरी सन् ७० में अलीगढ़ में लगी प्रदर्शनी में फेमिली प्लानिंग का जो कैम्प लगा था उस पर रु० ८०४.२५ पैसे खर्च हुए जिसका विवरण निम्नलिखित है :—

	रु० पै०
झन्डे के लिए कपड़ा इत्यादि	५७.५०
झन्डों की रंगाई	११२.७५
डेरे-तम्बू	२८२.००
कनातें	२६२.००
उपस्कर (फर्नीचर)	९०.००
योग ..	८०४.२५

ग्राम सेवकों का प्रशिक्षण तथा नियुक्तियां

२—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अप्रैल, सन् १९६७ मई; सन् १९६८ व अक्टूबर, सन् १९६८ तथा दिसम्बर, सन् १९६९ में प्रदेश में कितने-कितने ग्राम सेवकों ने प्रशिक्षण लिया है तथा ट्रेनिंग के बाद कितने ग्राम सेवकों के पद पर कार्य कर रहे हैं और कितनों को परिवार नियोजन विभाग में कार्य करने के लिये भेज दिया है ?

श्री शिवराज सिंह—

अप्रैल, सन् ६७ में ३७९; मई, सन् ६८ में ४१७ तथा अक्तूबर, सन् ६८ में ३९३ अभ्यर्थियों ने ग्राम सेवक का प्रशिक्षण प्राप्त किया। दिसम्बर, सन् ६९ में किसी ने प्रशिक्षण नहीं लिया। उक्त ११८९ ग्राम सेवकों में ७३४ ग्राम सेवक के पद पर तथा ४५५ परिवार नियोजन में स्वास्थ्य सहायक के पद पर भेजे गये।

जिला सहकारी संघ, कानपुर को हुई हानि अथवा लाभ

३—श्री राम कुमार (जिला कानपुर)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी संघ, कानपुर ने पिछले पांच वर्षों में क्या व्यवसायिक कार्य किये हैं और उससे संघ को कितनी हानि अथवा लाभ हुआ है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जिला सहकारी संघ लि०, कानपुर ने वर्ष १९६४–६५ और ६५–६६ में लोहा–स्पात, सीमेन्ट, फार्म एवं रजिस्टर, ईंट तथा शक्कर का व्यवसाय किया तथा वर्ष ६६–६७ एवं ६७–६८ में गत वर्ष के व्यवसायों के अतिरिक्त कोयला, स्पेशल–राशन शाप, किसमिस एवं वर्ष ६८–६९ में पिछले वर्ष के अतिरिक्त गेहूं एवं बनस्पति घी का और व्यवसाय किया है।

संघ में हुई हानि अथवा लाभ का वर्षवार विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५५९ पर)।

(सदन में घोर शोर के मध्य कुछ सदस्य सरकार के इस्तीफे की मांग करते सुने गये।)

श्री राम विलास पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है .....

(इस समय सदन में अत्यधिक व्यवधान हो रहा था और विरोधी दल के कुछ सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े थे।)

श्री अध्यक्ष—

१५ मिनट के लिये सदन स्थगित करता हूं।

(सदन की कार्यवाही १२ बजकर २५ मिनट पर १५ मिनट के लिये स्थगित हुई।)

(श्री अध्यक्ष ने अपने कक्ष से सदन की कार्यवाही १ बजे तक स्थगित रहने की सूचना मार्शल द्वारा कराई।)

(१ बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अनन्त राम जायसवाल का प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाने के कारण मुख्य मंत्री से त्याग-पत्र की मांग तथा सरकार में विश्वास प्राप्त करने का प्रस्ताव

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, मुझे एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना है। आज आप इस कुर्सी को सुशोभित नहीं कर सकते। आपका प्रस्ताव सदन में गिर गया।

(व्यवधान)

मुझे बहुत ही नम्रता के साथ आपके प्रति आदर व्यक्त करते हुए जो व्यवस्था का प्रश्न उठाना है वह यह है कि आपने एक प्रस्ताव किया, वह सदन में गिर गया।

(सरकारी पक्ष की ओर से—नहीं गिरा, नहीं गिरा की आवाजें)

यह प्रस्ताव तो गिर गया। अब इस पर उपाध्यक्ष जी अपना निर्णय दें?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, पूर्व इसके कि आप कुछ बोलें, मुझे बोलने की आज्ञा दें?

मान्यवर, मुझे आपने आज्ञा दी और उधर के ४ साहबान खड़े हो गये। इसके पूर्व कि आप दूसरी व्यवस्था दें, जैसा कि कुछ आपने वहां चैम्बर में हम लोगों से कहा था मैं विनम्रता-पूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन आज एक प्रकार से समाप्त हो गया है और उसके कारण हैं (हेयर हेयर की आवाजें—विरोधी पक्ष से)। उसका कारण यह है कि इसको स्नैप वोटिंग नहीं कहा जा सकता है किसी भी कान्सटिट्यूशनल दशा में। क्योंकि यह एक प्रस्ताव था जिसको भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने रखा था। उस प्रस्ताव पर मतदान हुआ। आज जैसा कि मुझे बताया गया और जैसा कि आपने चैम्बर में बताया उस मतदान में कुछ भूलें हो सकती हैं और उसमें खास तौर से (व्यवधान)। जैसा कि कहा गया चौधरी चरण सिंह साहब के भी हस्ताक्षर फर्जी किए गये। श्रीमन्, आप देखें कि उसके क्या कारण हैं। उधर से कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कुछ माननीय सदस्य इधर से आये लेकिन हमें मालूम है कि कुछ माननीय सदस्य उधर से भी आये थे। एक सदस्य माननीय जगदीश गांधी गैलरी में थे और वे उधर से आये।

श्री चंचल सिंह (जिला रामपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यदि सदन को आप चलाना चाहते हैं तो शोर बन्द कर दें ....

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा के बावजूद भी जब ये नहीं बैठते हैं तो आप इन्हें इंगित कीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं इंगित कर दूंगा यदि उन्होंने स्थान ग्रहण न किया।

(श्री चंचल सिंह ने स्थान ग्रहण कर लिया।)

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

श्रीमन्, मुझे बड़ा दुःख है कि जब कोई माननीय सदस्य इधर से बोलने लगता है तो उधर से कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लग जाते हैं। श्रीमन्, यह तो विरोधी दल है ही।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय चौधरी चरण सिंह जो फिर मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। यह सरकार गिर चुकी है। माननीय चरण सिंह उस कुर्सी को सुशोभित नहीं कर सकते हैं।

*श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

श्रीमन्, हम इन्तजार कर रहे हैं कि किसी दिन तो ये सदस्य जो निरन्तर बाधा उत्पन्न करते हैं, उन्हें आप इंगित करेंगे, लेकिन श्रीमन्, आज तक आपने उनको इंगित नहीं किया है और इसका कोई और कारण नहीं। शायद चौधरी साहब की तरफ के कोई भी माननीय सदस्य कभी कोई दोष नहीं करते हैं लेकिन श्रीमन्, बावजूद उनकी ओर से बाधा डालने के आपने उनमें से कभी भी किसी को इंगित नहीं किया है। और आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कि यदि हम लोगों की बात में बाधा डाली जायेगी तो हम नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मान्यवर, इस बात को..

(व्यवधान व शोर) (सरकारी पक्ष के कुछ लोगों के खड़े होने पर)

कृपा करके इनको इंगित कीजिये। ये सदन से बाहर न जांय तो मुझे आज्ञा दीजियेकि मैं...

(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता था कि जगदीश गांधी को, जिनको देखा गया, उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं। यह क्या हुआ, कैसे हो गया। सिवाय इसके कि वे कूद कर आये। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि कम से कम बीस आदमियों को उस दरवाजे से घुसाया गया। हम लोगों ने स्वयं उन आदमियों को देखा जिन्हें घुसाया गया। मैं कहना चाहता हूं कि बीस आदमी वहां से आये जिनको हमने देखा और प्रेस ने देखा। लेकिन ये सबकी सब अलग बातें हैं। सत्य बात तो यह है कि श्रीमान ने एक निर्णय दे दिया और उस निर्णय के देने के बाद माननीय चौधरी चरण सिंह को यहां बैठने का अधिकार नहीं है।

(मेजों की थपथपाहट और व्यवधान।)

यह वैसा प्रश्न नहीं है जिसमें स्नैप वोट हुआ करता है।

(व्यवधान व शोर)

(श्री त्रिवेणी के खड़े होकर कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष---

आप व्यवधान करेंगे तो मैं ऐक्शन लूंगा। (श्री त्रिवेणी के पुनः कुछ बोलने पर) देखिये आप नहीं बैठते हैं तो मैं आपको भी इंगित करूंगा। आप कृपा करके बाहर चले जायं।

(श्री त्रिवेणी ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इनको दो तीन दिनों के लिये बाहर निकाल दिया जाय और मान्यवर आप इस प्रस्ताव पर वोट लें लें ।

(किसी सदस्य द्वारा टोके जाने पर)

मान्यवर, मैं यह कहना चाह रहा था कि आज यह प्रश्न नहीं है । कोई निर्णय जो हो चुका, ठीक है पर आज मुझसे यह कहा जा रहा है कि मेरी हैसियत क्या है . . . .

श्री अध्यक्ष---

आप बोलिये ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

यदि इस प्रकार की बातें कही जायेंगी तो बहुत अनुचित होगा ।

श्री अध्यक्ष---

आप कहिये ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मुझे यह कहने की आज्ञा दें, मुझे मालूम है, उस समय भी आपसे यह कहा गया था कि कुछ आदमी वहां से आये और यह भी कहा गया था कि हमारी ओर से और मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि दरवाजे बन्द हो जाने के बाद में कम से कम बीस सदस्य उधर से आये हैं और उसकी संख्या मेरे पास में मौजूद है कि जगदीश गांधी जिनको कि यहां से हटाया गया उनके हस्ताक्षर वहां मौजूद हैं । कैसे हुये ये हस्ताक्षर श्रीमान् ? सिवाय इसके कि जगदीश गांधी वहां से आये और उनके हस्ताक्षर हुये । यदि ऐसा है तो सारे के सारे इनके दस्तखत फर्जी हो सकते हैं हमारे नहीं । मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका निर्णय तो हो चुका । कोई भी व्यक्ति, आप मुझे क्षमा करेंगे, जो कि इस सदन में और लोकतंत्र की परम्पराओं में विश्वास रखता है, जिसको नैतिकता की परम्पराओं में विश्वास है , जो कि नित्य प्रति डैमोक्रेसी और जम्हूरियत और लोकशाही का नाम लेकर गांधी जी के चरणों में सिर टेकता है उस व्यक्ति के लिये यह शोभा नहीं देता है कि वे यहां आकर दोबारा बैठें । (व्यवधान व घोर शोर)---

कृपा करके सुन लीजिये । मैं आज आप से कहना चाहता हूं कि कृपा करके चौधरी चरण सिंह को कहें कि वे यहां से जायें और गवर्नर साहब को इस्तीफा दें और जो कुछ वैधानिक कार्यवाही हो वे करें लेकिन यह क्या कि आपके निर्णय के बाद. . . यदि आप किसी प्रकार निर्णय को बदलने की चेष्टा करेंगे तो वह कुचेष्टा होगी और हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे । क्योंकि वह निर्णय आपने यहां किया है इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके पहले कि आप किसी प्रकार की कोई बात करें, निर्णय निर्णय है और वह निर्णय, निर्णय ही रहेगा । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब को कहिये कि वह बाहर चले जांय । उनसे यह भी कहिये कि नैतिक रूप से. . . .

(व्यवधान)

मैं नहीं बैठना चाहता इस तरह से शोर मचाने से । आप मुझ पर कृपा करें । मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप कृपा करके माननीय चौधरी चरण सिंह जी से कहिये कि वह अपना इस्तीफा दे दें, जो वैधानिक और नैतिक रूप से सही है ।

(विपक्ष की ओर से देर तक करतल ध्वनि) (व्यवधान)

(शिक्षा मंत्री श्री श्रीपति मिश्र के भाषण के लिये खड़े होने पर ।)

मैं उनकी बात नहीं सुनना चाहता ।

(शिक्षा मंत्री कुछ समय खड़े रहे और विरोध पक्ष से कुछ सदस्यों द्वारा मेंजे थपथपाई जाती रहीं। श्री अध्यक्ष द्वारा बार-बार रोकने पर भी व्यवधान जारी रहा।)

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को दो घंटे के लिये पुनः स्थगित करता हूं।

(१ बजकर १४ मिनट पर सदन की कार्यवाही दो घंटे के लिये पुनः स्थगित हुई।)

(श्री अध्यक्ष ने अपने कक्ष से सदन की कार्यवाही ३ बजे तक स्थगित रहने की सूचना मार्शल द्वारा कराई।)

(सदन की कार्यवाही ३ बज कर ३० मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष—

मैं थोड़ी सी बातें कहना चाहता हूं। बहुत दुःख की बात है कि आज सदन का काम अब तक रुका लेकिन जैसी परिस्थिति उत्पन्न हुई उसका सामना हमको करना ही है। जो मत विभाजन की संख्या मेरे पास आई उसके अनुसार मैंने फैसला दे दिया—विपक्ष में ११७ और पक्ष में ११५—दो का फर्क रहा। अब नियम यह है कि फैसला देने के पहले अगर कोई शिकायत आती है कि यह गड़बड़ी हो गयी और आप फिर से इस पर वोटिंग ले लीजिये तो मुझे अधिकार हो जाता है कि फिर से वोटिंग ले लूं लेकिन फैसला देने के बाद और सदन के पट खुल जाने के बाद वह चीज केवल एकेडेमिक रह जाती है इस तरह से कि वोटिंग पर तो उस रोज कोई मौका नहीं रह जाता, केवल यह रह जाता है कि जो शिकायतें आयें उनकी जांच होनी चाहिये। यह दुःख की बात है कि कुछ लोग यह आरोप करें कि कुछ लोग बीच में कूद आये या एक आदमी ने इस तरह से दस्तखत कर दिये और दूसरे तरफ से यह आरोप लगाया जाय कि १०, १५ आदमियों ने,

(व्यवधान)

ज्यादा से ज्यादा जो आदमी हों गलत दस्तखत किये। तो जो शिकायतें मेरे पास आयेंगी उनको मैं अपने पास रखूंगा और उनको फिर मैं किसी कमेटी के सुपुर्द करना चाहता हूं। सब से अच्छा यह होगा कि जो हमारी कमेटी से जिसके सभापति उपाध्यक्ष जी हैं उसमें दोनों तरफ से ऐसे लोग रखे जायं जिन्होंने थोड़ी वकालत भी की हो और जिनको कानून का ज्ञान हो। वे लोग इस विषय में हमको बतलायें कि इतने लोगों ने ये अनिमितताये की हैं और आइंदा वे ज्यादतियां न हो सकें इसके लिये भी वह सुझाव देवें। यह चीज मैं करना चाहता हूं। अब इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है सिवा इसके कि यह कहा जाय कि वह सस्पेंडेड हो जाय तो यह बात नहीं है। वह फैसला हो गया रहा कमेटी को सुपुर्द करने की बात तो जब उस की रिपोर्ट आयेगी तो पता चल जायगा कितने आदमियों ने अनियमिततायें की और क्या-क्या ज्यादती की और उसके लिये कमेटी तरकीब भी बतलायेगी, उससे अन्दाज हो सकेगा। आज अन्दाज होना मुश्किल है। मैं समझता हूं कि सदन का काम आगे चलता रहे। प्रश्नों का समय निकल गया, आगे का काम बाकी है। दो असरकारी प्रस्ताव हैं उस काम को चलने दिया जाय। वैसे कोई दूसरा रास्ता हो तो आप लोग बतलायें।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने तथा व्यवधान के मध्य)

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

अध्यक्ष महोदय, आप की जो रूलिंग हुई है वह शिरोधार्य है.....

(व्यवधान तथा शोरगुल)

श्री अध्यक्ष--

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी से) मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप पहले बोलना चाहते हैं?

श्री श्रीपति मिश्र---

मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। मैं रूलिंग के बारे में कहना चाहता था कि जो रूलिंग आपने दी है वह शिरोधार्य है लेकिन ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

अगर इसी तरह से शोरगुल होता रहेगा और माननीय सदस्य किसी को बोलने नहीं देंगे तो फिर से मुझे इस सदन को स्थगित करना होगा।

श्री श्रीपति मिश्र---

मुझ को इस तरह माननीय सदस्य रोक नहीं सकते।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने आज्ञा माननीय माधव प्रसाद जी को दी है।

(व्यवधान)

श्री श्रीपति मिश्र--

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की आज्ञा दी है।

श्री अध्यक्ष---

ऐसे में सदन का कार्य नहीं चला सकता हूं। मैं आज का कार्य समाप्त कर सकता हूं। आप लोग शांत रहें। कृपया हल्ला न करें।

एक सदस्य---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

इस तरह से काम नहीं चल सकता।

*श्री माधव प्रसाद (जिला बस्ती)---

मान्यवर, आज का बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन उस संदर्भ में याद करना चाहिये जब इसी प्रकार का एक अवसर यहां पर आया था और जब इस सदन ने सरकार और मुख्य मन्त्री के विरोध में मत व्यक्त किया था। जब कौंसिल का प्रश्न इस सदन में आया तो सरकार की तरफ से व्हिप ईशू हुआ और उस पर सरकार की राय गिर गई। वह व्हिप उन्होंने वापस कर लिया।

(घोर व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधवप्रसाद]

मान्यवर, यह सदन कितना असंतुष्ट है। सदन के सामने दो ज्वलन्त उदाहरण हैं। यह ऐतिहासिक घटनायें हुई हैं कि जो व्हिप किया जाता है वह वापस कर लिया गया और उस पर सरकार की राय गिर गई। इस सदन के लिये आप बड़े हैं। मुख्य मन्त्री जी सरकार के प्रतीक हैं। उन्होंने प्रस्ताव सदन के सामने रखा और वह गिर गया। मैं समझता हूं कि इन दोनों स्थितियों को ध्यान में रखते हुये जिस बात पर हम अपना विचार व्यक्त करना चाहते थे वह आप ने कह दिया। चूंकि यह एक ऐतिहासिक घटना है अतः इस पर निर्णय भी ऐतिहासिक होना चाहिए क्योंकि नैतिकता के संसार में आज यह सरकार नहीं रह गई। टैक्नीकली आप चाहें कुछ भी कहें। ऐसा अवसर आ गया है और इस सरकार को अपने ऊपर बहुमत का विश्वास है तो इसे फौरन रिजाइन कर देना चाहिए और उसके बाद फिर बहुमत प्राप्त करके सरकार का गठन करना चाहिये।

(व्यवधान)

यहां पर अनेक अवसर आये हैं। यहां पर पुरुषोत्तम दास जी टंडन थे उन्होंने कहा था कि यदि एक भी व्यक्ति ने भी उनके प्रति कोई ऐसा विचार व्यक्त किया तो वे इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने मापदण्ड रखा था। इसी प्रकार यह बात कई मर्तबा इस सदन के सामने आ गई है।

गवर्नर की स्पीच के बारे में भी इसी प्रकार का प्रसंग आया था। आज हम कहते हैं एकेडिमिक डिस्कशन नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस डेमोक्रेसी के इतिहास में कोई स्तर रहना चाहिए। सरकार के जो प्रमुख हैं उन्हें समाज और संसार के सामने एक मापदण्ड और आदर्श स्थापित करना चाहिए। ऐसे अवसर दो मर्तबा हो गये। सरकार इस प्रस्ताव में हार गई। यह सब इस बात का संकेत करता है कि सभी जगह डिस-सैटिसफैक्शन है।

आज किसी का सिर किसी का पैर और किसी का शरीर मिलाकर सरकार चल नहीं पायेगी। जब-जब सरकार के विरुद्ध असंतोष प्रकट करने का मौका आता है तो इसी रूप में प्रकट किया जाता है। अतः इस अवसर पर मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी सरकार को अब यहां टिके रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इंगलैंड में भी ऐसे अवसर आये जब केवल मेम्बरों की मर्मरिंग पर वहां के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने कहा कि मैं जानता हूं कि आप डर से मेरे विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव नहीं ला रहे हैं, इसलिये मैं स्वयं ही विश्वास का प्रस्ताव लाना चाहता हूं। डेमोक्रेसी में यह मोरेल करेज की बात है। इस प्रकार से उन्होंने अपने मोरेल स्टेन्डर्ड को रखा। सारा सदन दो बार इस सरकार में अविश्वास प्रकट कर चुका है, न तो ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी ही रह गयी और न एक दूसरे में विश्वास ही रह गया है। इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी को यहां रहने का कोई औचित्य ही नहीं रह गया है। उनको चाहिये कि वे इस हाउस को डिजाल्व कर दें, फिर से शपथ ग्रहण करें और मंत्रिमण्डल बनायें, तब डेमोक्रेसी की रक्षा होगी।

*श्री श्रीपति मिश्र--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो रूलिंग दी है वह शिरोधार्य है। मैं उसके लिये आपको बधाई देता हूं। साथ ही साथ जनसंघ के माननीय सदस्य त्रिपाठी जी की उस बात से शत प्रतिशत सहमत हूं जिसमें उन्होंने कहा कि इस सदन में नैतिकता स्थापित होनी चाहिये। मैं एक क्षण को भी उससे विरुद्ध नहीं हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात केवल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपके सामने कहना चाहता हूं, रूलिंग के संबंध में, जैसा मैंने कहा कि वह हमें शिरोधार्य है, और यह भी नहीं कहा कि उधर से ६ आदमी कूद कर आये और उन को आप ने नहीं देखा, लेकिन रूलिंग के संबंध में कुछ बात कहना चाहता हूं और बहुत अदब से कहना चाहता हूं। माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि नैतिकता का पालन हो, मैं भी चाहता हूं कि उसका पालन अक्षरसः हो। परन्तु उसके सम्बन्ध में हमारी प्रक्रिया नियमावली का जो रूल है वह इस प्रकार है:—२९९ (३) (क) जैसे ही किसी सदस्य को इंगित किया जायगा, सदन का नेता अथवा उनकी अनुपस्थिति में कोई अन्य सदस्य तत्काल इस आशय का प्रस्ताव करेंगे कि इंगित सदस्य को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय और ऐसे प्रस्ताव पर प्रश्न बिना किसी संशोधन या विवाद या स्थगन प्रक्रिया के सदन के समक्ष उपस्थित कर दिया जायगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह मुख्य मंत्री का फर्ज जरूर था लेकिन उसके साथ में उनका दंभ भी जुड़ा हुआ था कि इसको निलम्बित करवा ही देंगे।

श्री श्रीपति मिश्र—

इस समय केवल एक बात कहना में नितान्त आवश्यक समझता हूं वह यह कि अगर माननीय अध्यक्ष इंगित करें तो नेता सदन को अथवा किसी दूसरे माननीय सदस्य को यह प्रस्ताव करना तुरन्त ही आवश्यक है कि इन माननीय सदस्य को निलम्बित किया जाय। वैसा प्रस्ताव लाया गया और उसका जो नतीजा हुआ आपने घोषित किया। जो नतीजा आपने बताया वह हमें स्वीकार है क्योंकि हम सोचते हैं कि सदन की और आपकी मर्यादा के लिये उसको स्वीकार करना ही चाहिये। लेकिन अगर इस प्रकार की दुर्घटना हो जाय कि इस प्रकार का प्रस्ताव अगर पास न हो, उस सम्बन्ध में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। इन दोनों बातों को आप देख लें कि उनका क्या परिणाम होगा। अध्यक्ष महोदय, इन्साइक्लोपीडिया आफ पार्लियामेंट, थर्ड एडिशन के पेज ४७५ पर है :

"इट आलसो प्लेसेज. . . . . .

श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)—

अंग्रेजी नहीं चलने दूंगा। हिन्दी में बोलिये, उर्दू में बोलिये (घोर व्यवधान)

श्री श्रीपति मिश्र—

यह उद्धरण है। मैं इस उद्धरण को इसमें से पढ़ूंगा और उसको हिन्दी में बता दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

हिन्दी में उसका अनुवाद कर देंगे।

श्री श्रीपति मिश्र—

केवल उद्धरण इसमें से पढ़ूंगा। मजबूरी है कि उद्धरण की परम्परा रही है यहां भी, लोक सभा में भी, हर जगह। उद्धरण जब पढ़ा जाता है तो जिस किताब का है उसी ढंग से पढ़ा जायगा। तो मैं दो उद्धरण पढ़ना चाहता हूं कि अगर यह दुर्घटना हो गयी. . . .

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

एक प्वाइंट आफ आर्डर है। यह कैसे बोल सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं। वह बोल सकते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह--

आप सुन लीजिये, फैसला जो चाहें दे दीजियेगा।

(घोर व्यवधान)

श्री श्रीपति मिश्र--

इट आलसो प्लेसेज ए क्लियर आब्लीगेशन अपान दि हाउस.....

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह--

आप इधर देखें अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह--

बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष--

(नेता विरोधी दल का ध्यान आकर्षित करते हुये) यह तय हुआ था कि मंत्री जी बोलेंगे। अब उसके ऊपर कोई व्यवस्था का प्रस्ताव नहीं उठता है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं बोलने के लिये नहीं रोक रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप रोक रहे हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

आप व्यवस्था का सवाल तय कर दें।

(श्री आशाराम इन्दु के खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैंने यह माना कि इतने वक्त के पूर्व जो सरकार थी उस सरकार के एक मंत्री के शक्ल में माननीय सदस्य, विधान परिषद् थे। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सदन में जो प्रश्न उपस्थित हुआ है उस प्रश्न पर न माननीय सदस्य की राय थी, न माननीय सदस्य को कोई अधिकार है। इसलिये जो माननीय सदस्य इस समय अपनी राय जाहिर कर रहे हैं वह राय जाहिर करने का माननीय सदस्य को कोई हक प्राप्त नहीं है इसलिये यह सवाल इस सदन के सदस्यों का अपना है जिनको इस सदन में वोट करने का अधिकार है। इसलिए दूसरी राय देने का अधिकार एडवोकेट जनरल को है। तो न ऐडवोकेट जनरल की शक्ल में और न इस सदन के सदस्य की शक्ल में....

श्री अध्यक्ष--

बात यह है कि नियम के बारे में कोई भी यहां पर सदन के नियमों को ही कोट करेगा उसी के हिसाब से कार्य होगा। जो मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस है वह सदन के कार्य संचालन के

नियमों की ओर संकेत है और यहां पर कोट किया जायगा और वह लागू हो न हो यह अध्यक्ष तय करेगा दूसरी चीज कोट नहीं करेंगे। लेकिन वह यहां बराबर बोल सकते हैं, मैंने उनको इजाजत दे दी है। आप का जो व्यवस्था का प्रश्न है उस को मैं खारिज करता हूं। वह बोल सकते हैं।

श्री श्रीपति मिश्र—

मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख निवेदन कर रहा था कि अगर ऐसा प्रस्ताव नहीं पास होता है गिर जाता है, जैसा कि आपने घोषित किया तो उसका क्या अर्थ होता है। नतीजा होता है मान्यवर, मैंने पहले यह बताया था कि जब आप इंगित करें तो किसी न किसी, नेता सदन को, प्रस्ताव करना चाहिये और उस वक्त जो कार्यवाही होगी जो इसमें उसका उद्धरण इस प्रकार है—

"It also places a clear obligation on the House to take certain action after a member has been 'named', and a serious reflection on the chair would be involved should the House decline to carry the motion for suspension."

अगर यह नहीं पास होता है, नहीं कैरी होता है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात जो लिखी हुई है वह यह है कि:

"a serious reflection on the Chair would be involved should the House decline to carry the motion for suspension."

दूसरा मान्यवर,

"Once a member has been named a motion is immediately made, usually by the Prime Minister, 'that such member be suspended from the service of the House'. The motion is not subject to amendment, adjournment or debate, and the speaker puts the questions on it immediately. The Standing Order places a clear obligation on the House to move for a members's suspension once he has been named. The Motion is invariably carried, although it is usually taken to a division. The effect of rejecting it would be seriously to undermine the Speaker's authority, and would in fact, amount to a vote of no-confidence in him."

यह इसकी पोजीशन है। तो मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके पास होने से या न होने से कोई प्रभाव सरकार के ऊपर नहीं पड़ता। दुर्भाग्य से यह प्रभाव जो पड़ता है वह चेयर पर पड़ता है। और मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अनीसुर्रहमान—

आपने साफतौर पर कई बार कहा है कि यहां की राज काज की भाषा हिन्दी ही है। राजर्षि टंडन से लेकर अब तक जितनी रूलिंग हुई हैं वह हिन्दी में ही हुई हैं। तो मंत्री जी इंग्लिस्तान की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। मैं जानना चाहता हूं कि अगर आप किसी को इंगित करें तो आप स्वयं निकाल सकते हैं। इंग्लिस्तान का कायदा कुछ भी हो मगर यहां की परम्परा, कायदा और रास्ता सीधा और खुला हुआ है कि नेता सदन को ऐसा करना चाहिए और आज नेता सदन के प्रस्ताव करने पर इस हाउस ने उस को रिजेक्ट कर दिया है। तो स्पीकर से पहले नेता सदन पर अविश्वास हाउस का व्यक्त हो गया और उसके लिये स्तीफा देने के अलावा और कोई चारा नहीं है।

(मुख्य मन्त्री के खड़े होने पर)

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मेरा निवेदन है कि आप अब नेता सदन नहीं हैं। हम आप को सुनना नहीं चाहते, आपको नहीं सुनाना चाहते।

(अधिक व्यवधान)

यदि चौधरी साहब एक सदस्य की हैसियत से बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं वह भी तब जब आप इस्तीफा दे दें। हम आपको नहीं सुनना चाहते हैं। (व्यवधान) मान्यवर, मैं फिर दुहरा देना चाहता हूं कि माननीय चरण सिंह अब नैतिक रूप से इस सदन के नेता नहीं हैं और हम उनको सुनना नहीं चाहते हैं (व्यवधान व मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष—

अगर इसी प्रकार शोर मचता रहा तो आज सदन की कार्यवाही नहीं चल सकेगी।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

यह कहा गया कि नेता सदन पर सदन का विश्वास नहीं है। मैं अभी सदन का विश्वास सीक करता हूं। मैं कानफिडेन्स सीक करने के लिये तैयार हूं। अभी वोट करा लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

सदन के सामने यह प्रस्ताव है कि माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि मैं कानफिडेन्स सीक करता हूं और इसके लिये मैं अभी तैयार हूं अब आप उनके लिये वोट करा लें।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

पहले वह इस्तीफा दें। (व्यवधान) हमें उनकी बात स्वीकार है लेकिन वह पहले इस्तीफा दें।

श्री अध्यक्ष—

यह चीज नियम में नहीं है कि पहले उनको इस्तीफा देना चाहिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

कौन से नियम से वह कानफिडेन्स सीक कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

आप कह रहे हैं कि उनमें अविश्वास है। इसलिये वह विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, पहले वह गवर्नर के पास जाकर रिजाइन करें तब कांफीडेन्स सीक करें।

श्रम राज्य मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)—

जब नेता सदन कान्फीडेन्स सीक करना चाहते हैं तो क्या बात है।

(शोर)

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह कान्फीडेंस सीक करना चाहते हैं तो इसमें दो बातें हो सकती है—पहले वह यह स्वीकार करें कि यह इस सदन के नेता नहीं हैं और दूसरे अपने पद से रिजाइन करें। रिजाइन करने के बाद वह कान्फीडेंस सीक करें।

मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन सा नियम है जिसके अन्दर वह कान्फीडेंस सीक करना चाहते हैं.....

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अगर आप चाहें तो नो-कान्फीडेंस मोशन उपस्थित कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

पहले वह इस्तीफा दें.....

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

मालूम होता है आप इसके लिये तैयार नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं एक प्रस्ताव लिख कर भेज रहा हूं कि यह सदन वर्तमान सरकार में विश्वास प्रकट करता है ।

(शोर)

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष जी, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब चौधरी साहब ने यह तसलीम कर लिया कि वह नेता सदन नहीं रहे तो कायदे-कानून से गवर्नर के पास इस्तीफा भेज दें । वह किस कायदे-कानून के अन्दर कान्फीडेंस सीक करना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं । मैं इस प्रश्न से सहमत हूं कि इस आदरणीय सदन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है— विरोधी पक्ष की और शासक पक्ष की— आपकी अध्यक्षता में । इसको चलाने में कोई रुकावट डालने वाली बात आती है तो नियमानुसार आप उसको इंगित करेंगे और नेता सदन रेजोल्यूशन मूव करेंगे उसको ससपेन्ड करने के लिए, सदन से बाहर निकालने के लिये । मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं इस बात की, जैसाकि आप स्वयं देख रहे हैं, कि कुछ सरकारी पक्ष के लोग इस बात की बार-बार कोशिश करते हैं कि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से न चल सके । अगर सरकारी पक्ष रुकावट डालने की बात करता है तो आप कौन सा तरीका अपनायेंगे ? उसको इंगित करने का कौन सा तरीका अपनायेंगे, जब कि नेता सदन मव करता है रेजोल्यूशन को ।

(घोर व्यवधान)

श्रीमन्, मैंने आपसे निश्चित प्रश्न पर आपकी व्यवस्था मांगी थी । वह प्रश्न यह है कि इस सदन को सुचारू रूप से चलने की जिम्मेदारी विरोधी दल की और शासक दल की दोनों की है, आपकी अध्यक्षता में, बराबर की है । नियमानुसार अगर विरोधी दल का कोई माननीय

[श्री रियासत हुसैन]

सदस्य सदन की कार्यवाही में रोड़ा अटकाता है तो आपको अधिकार है कि आप उसको इंगित करें और उसके फौरन बाद नेता सदन प्रस्ताव रखें कि उसको एक दिन, दो दिन या चार दिन के लिए सदन से निकाल दिया जाय और बहुमत से वह रिजोल्यूशन पास हो जाय। लेकिन श्रीमन्, जैसा आप स्वयं देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से, सरकारी पक्ष के कुछ लोग विरोधी दल के काम में और सारे सदन के काम में रोड़ा डालने की कोशिश करते हैं। तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिनके हाथ में शक्ति है अगर उसी तरफ के माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही में रोड़ा डालें तो उसके लिये आप क्या तरीका अपनायेंगे उस माननीय सदस्य को बाहर निकालने के लिये।

श्री अध्यक्ष—

उसके लिये भी मैंने यही फैसला किया। अभी एक माननीय सदस्य बीच में रोड़ा अटका रहे थे, मैंने कहा कि नेम करूंगा, वह बैठ गए। अगर बैठ जाते हैं तो मैं नेम नहीं करता हूं लेकिन अगर डिफाई करना शुरू कर दें तो उसको तो नेम करूंगा ही चाहे इधर का हो और चाहे उधर का हो। अगर इकट्ठे दस-पांच आदमी होते हैं तो मैं सदन को मुल्तवी कर देता हूं क्योंकि सबको कहां तक नेम करूंगा।

अब इस वक्त प्रश्न यह है कि क्या विश्वास का प्रस्ताव यहां उपस्थित किया जा सकता है या नहीं।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा प्रश्न यह नहीं है....

(व्यवधान)

श्री महीलाल—

श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव यह है कि यह सदन वर्तमान सरकार में विश्वास प्रकट करता है। इस पर आप तत्काल मतदान करा लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

तत्काल कैसे करा लूं, बोलने का अधिकार तो हर प्रस्ताव पर होता है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न तो रह ही गया। जैसा मैंने अभी कहा इस तरफ से कोई रोड़ा डाले तो आप इंगित करते हैं और नियमानुसार नेता सदन उस पर प्रस्ताव मूव करते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर नेता के दल का ही आदमी है और नेता सदन प्रस्ताव मूव नहीं करते हैं तो ऐसी सूरत में उस सदस्य को सदन से निकालने के लिये आप क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो शर्तिया प्रश्न है।

(सदन में बहुत शोर होने लगा)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, अब प्रश्न यह है....

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है .....

श्री राजमंगल पांडेय—

श्रीमन्, अब तो प्रश्न केवल इतना ही है कि यह हाउस चौधरी चरण सिंह में अपना विश्वास प्रकट करता है या नहीं। इसमें किसी बहस की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामकरन—

अध्यक्ष महोदय, अभी आप एक फैसला दे ही रहे थे, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस प्रकार सुबह तैश में आकर झट से प्रस्ताव कर दिया उसी प्रकार तैश में आकर कांफिडेंस सीक करने की बात भी कर दी। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जब इस वक्त यह विवाद खड़ा है और इस विवाद के ऊपर बातचीत चल रही है तो जब तक माननीय मुख्य मंत्री या इधर के लोग कोई नोटिस न दें तब तक कांफिडेंस सीक करने का कौन सा सवाल आता है। इस वक्त जब यह चर्चा चल रही है और १ बजे के करीब एक इश्यू पर यह सरकार गिर गई हो तो झगड़ा इस बात का है कि सरकार है या नहीं। पहले इसको सोचना होगा। पहले इस बात का फैसला होना है कि चौधरी साहब नेता हैं या कोई दूसरे व्यक्ति नेता होते हैं और किसको कांफिडेंस सीक करना है। यह नैतिक सवाल है। इस प्रकार से दूसरे लोग इस पर कैसे बोल सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इस प्रकार की व्यवस्था केरल में हो चुकी है। यहां भी वह हो सकता है। वह कांफिडेन्स सीक कर सकते हैं। केवल यह प्रश्न रह जाता है कि उसको आज लिया जाय या कल लिया जाय।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मान्यवर, अभी जो आपने केरल का जिक्र कर दिया, केरल में कुछ होने का वह दूसरे संदर्भ में है। अगर उसको देखना आप पसन्द करेंगे तो मैं निवेदन करूंगा कि कृपा कर उन समस्त नियमों को मंगालें और कार्यवाही को मंगालें और इसके बाद कोई निर्णय लें। जहां तक सदन में इस प्रश्न का संबंध है उसके संबंध में आप कृपया नियम ११० देखने का कष्ट करें।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

मैं इस समय सदन में क्लोजर मूव करता हूं। आप इस पर वोट लें ले। क्लोजर के बाद कोई बहस नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—

वह रूलिंग की बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

वैसे तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता था लेकिन मैं जनसंघ के माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि मैं चौधरी साहब के मंत्रिमण्डल में नहीं जाऊंगा। मैं यह कह रह था कि नियम ११० को देखा जाय। उसमें यह है कि कौन से प्रस्ताव बिना सूचना के सदन में लाये जा सकते हैं। उसमें यह नहीं है। और यदि यह सदन कुछ नियमों से परिचालित होता है तो....

श्री श्रीपति मिश्र—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आचार्य जी इस प्रस्ताव की ग्राह्यता पर बता रहे थे कि यह लाया जाय या न लाया जाय। यहां पर केवल इतना प्रश्न था कि उधर से कहा जा रहा है कि चौधरी साहब में सदन का विश्सास नहीं है। वह इस बात को स्वीकार करते हैं

[श्री श्रीपति मिश्र]

और इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। आप विश्वास के प्रस्ताव पर वोट करा लीजिये। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। आप वोट करा लीजिये। यहां पर केवल वोट का ही प्रश्न है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मान्यवर, यह एक पहलू है। कोई भी प्रस्ताव किसी समय यहां पर लाया जा सके यह संभव नहीं है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार से सदन की और जनतंत्र की सारी प्रणाली को समाप्त किया जा सकता है। प्रश्न तो सीधा सा यह है कि यह जनतंत्र की सारी प्रणाली, परंपरा और उसकी सुरक्षा हो तो यह जरूरी है कि वह ज्यादा जोश खरोश में न जाएं तो अच्छा है और चौधरी साहब ज्यादा जोश खरोश में जाकर वस्तुस्थिति को देखें। वह देखें कि स्थिति क्या है।

हमारे कहने के अनुसार सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है वह सदन में परित नहीं हो सका और इसके माने यह है कि इस सदन में यह सरकार गिर गई। इसका अर्थ यह हुआ कि मुख्य मंत्री जी की नैतिक रूप से आज उनको सरकार में विश्वास प्राप्त नहीं रहा और इसलिये उनको अब गवर्नर महोदय के सामने अपना स्तीफा देना चाहिये और उसके बाद जो कुछ भी वैधानिक प्रक्रिया हो वह चले।

फिर यदि ऐसा हुआ ही तो जिस समय यह हुआ उसी समय वह कहते कि ऐसी बात नहीं है। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में भी है, यह तो डिवीजन से संबंधित चीज है और उसी समय वह कहते कि यह डिवीजन का परिणाम सही नहीं है और हमें विश्वास प्राप्त है, उसी समय वह ऐसा करते तो दूसरी बात होती लेकिन इस घटना को हुए अब कम से कम साढ़े ३ घंटे हो गये। सरकार के पास तो बहुत बड़े साधन हैं, न मालूम किस-किस को बुलाया गया और राय ली गई लेकिन सदन की प्रक्रिया, परंपरा, जनतंत्र की प्रणाली के अनुसार निश्चित रूप से यह सरकार गिर गई है और ऐसी स्थिति में केवल एक ही विकल्प है कि वह गवर्नर महोदय को अपना स्तीफा दें। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। गवर्नर महोदय उसको फिर स्वीकार करें या जो कुछ भी करें और उसके बाद भी फिर उनको मौका मिलेगा कि वह सदन में आकर फिर विश्वास प्राप्त करें या जो भी चाहें करें।

मैं केरल के निर्णय के बारे में चाहता था, बजाय इसके कि हम एक हाइपाथेटिकल बहस यहां करें पहले हम वहां के निर्णय पढ़ लें क्योंकि वह निश्चित रूप से दूसरे संदर्भ में है। उसका डर नहीं है वह स्नैप वोट के संबंध में हो सकता है लेकिन इस वोटिंग में और स्नैप वोट में बहुत अन्तर है। स्नैप वोट में सरकार का प्रस्ताव नहीं होता, बहस चलती रहती है और वह समाप्त कर दी जाय तो स्नैप वोट हो जाता है, लेकिन यह प्रश्न यहां नहीं है। यह तो सीधा सा प्रश्न है कि सरकार अपने एक प्रस्ताव पर गिर गई और उसको उसके लिये स्तीफा देना चाहिये और वैधानिक रूप से जो भी उचित हो ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें मैं फैसला देता हूं कि वह प्रस्ताव ला सकते हैं और अब केवल इतना प्रश्न है कि यह आज लेना है या कल लेना है।

अनेक सदस्य—

आज ही लें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह प्रस्ताव आज ही लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

अध्यक्ष महोदय, नियमानुसार यह प्रसतव नहीं लिया जा सकता । मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम १०० की ओर दिलाना चाहता हूं... (व्यवधान) उसमें स्पष्ट लिखा है.....

(व्यवधान)

श्रीमन्, आप नियमावली के नियम १०० पृष्ठ ३० पर देखें जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई संकल्प जिस पर सदन का निर्णय एक दफा हो चुका हो, ६ महीने के अन्दर दोबारा कोई संकल्प नहीं आ सकता जो उसी विषय से संबंधित हो । इसी तरह के संकल्प के ऊपर इस सदन का फैसला तीन महीने पहले हो चुका है । अब उसी किस्म का संकल्प जिसके अन्दर मंत्रिमण्डल में अविश्वास व्यक्त किया गया हो, ६ महीने के अन्दर इस सदन के अन्दर दोबारा नहीं आ सकता ।

श्री अध्यक्ष—

यह नियम इस पर लागू नहीं होता ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

जिस संकल्प पर एक दफा सदन का निर्णय हो चुका हो, और मंत्रिमण्डल में अविश्वास का फैसला हो चुका हो, उसी से संबंधित उसी किस्म का संकल्प ६ महीने के अन्दर नहीं लाया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

वह अविश्वास का था, यह विश्वास का है ।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, अच्छा होता कि रूलिंग देने से पहले आप इस विषय पर सबको सुनते । यह जो विषय है..... (व्यवधान)

जब ये चुप हो जाएं तभी मैं बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप बोलें, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, जिस प्रकार से सदन की गतिविधि प्रातःकाल से चल रही है और जिस प्रकार से अब काम चल रहा है, मैं आपसे निवेदन करता चाहता हूं कि एक बार इस पर आप फिर दोबारा विचार कर लें कि आपको वहां बैठना चाहिये या नहीं । मैं बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा हूं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्री श्रीपती मिश्रा ने एक रूलिंग कोट की, मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि श्रीमन्, इस पर दोबारा विचार कर लें कि आज आपको उस आसन को सुशोभित करना चाहिये या नहीं करना चाहिये । क्योंकि हम यह देख रहे हैं कि किस तरह विरोध पक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है । प्रजातंत्र का यह तकाजा नहीं है कि कठोर बहुमत से यह कोशिश करें कि दूसरे की आवाज को दबा दिया जाय । इस तरह से किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है ।

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो माननीय रियासत हुसैन साहब ने नियम प्रस्तुत किया, यह बिलकुल सही है कि अविश्वास का प्रस्ताव यदि पहले आया हो तो उस के ६ महीने के भीतर कोई ऐसा संकल्प या संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जायगा जिस में सारतः वही वाद विषय या प्रश्न उठाया जाय जो पूर्व संकल्प में अन्तर्निहित था। इस के अलावा में आप का ध्यान नियम १११ की तरफ खींचना चाहता हूं जिसमें है---"अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर यदि कोई प्रस्ताव लम्बित हो अथवा निस्तीर्ण किया जा चुका हो तो यथास्थिति प्रस्ताव के लम्बन काल में अथवा उस के निस्तारण की तिथि से ६ महीने के भीतर कोई ऐसा प्रस्ताव या संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, जिसमें सारतः वही वाद-विषय या प्रश्न उठाया जाय जो पूर्व प्रस्ताव में अन्तर्निहित था।" पहले एक दफा अविश्वास का प्रस्ताव आ चुका था और आप ने औरों को सुने बिना खट से रूलिंग दे दी। बहुत से सदस्य इस पर बोलना चाहते थे, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपनी बात पर फिर से विचार करें।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री पंचायत राज मन्त्री का नाम पुकारने पर।)

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर पांच बार खड़ा हो चुका हूं और आप ने मुझे बोलने का मौका दिये बिना श्री रावत जी को बुला लिया। (व्यवधान)।

पंचायती राज मन्त्री (श्री जगन प्रसाद रावत)---

श्रीमन्, मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि...

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

मैं इसके बारे में एक रूलिंग दिखाना चाहता हूं। इस तरह से आप काम नहीं चला सकते हैं।

श्री जगन प्रसाद रावत---

आप के सामने एक प्रस्ताव आया। आप ने उस पर एक व्यवस्था दी तो इस प्रकार से एक प्रक्रिया आरम्भ हो गयी। जब आप की रूलिंग हो गयी तो फिर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता है। सीधी सादी बात है। उस पर आप वोट ले लें। (व्यवधान)

श्रीमन्, एक और निवेदन करना है कि इसके साथ-साथ जिस प्रश्न को लेकर ये सवाल उठा रहे हैं, वह कुछ गलत तरीके से हमारे सामने उपस्थित हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, सदन की व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में आप ने किसी को इंगित किया तो वह सदन की व्यवस्था का प्रश्न है, सरकार के पक्ष या विपक्ष का प्रश्न नहीं है। संसार के सभी देशों में जहां भी पार्लियामेंटरी पद्धति है, वहां अध्यक्ष के इंगित करने पर निलम्बन के प्रस्ताव के समर्थन करने की जिम्मेदारी सारे सदन पर आती है।

श्री कृष्णानन्द राय---

(माननीय रावत जी की ओर इशारा करते हुये)---

आप बैठिए।

(अत्यधिक शोर)

श्री जगन प्रसाद रावत---

श्रीमन्, मुझे बोलने का आप ने समय दिया था। मुझे बोलने का समय दिया जाय।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, आप की कुर्सी के मुताल्लिक एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप किसी को बिना सुने इस तरह से व्यवस्था नहीं दे सकते हैं। श्रीमन्, इन को (रावत जी को) बिठा दीजिये।

श्री जगन प्रसाद रावत—

श्रीमन् मैं आप से निवेदन कर रहा था (व्यवधान)—

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन् मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। श्रीमन्, आप की कुर्सी के बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न है (शोर)

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, आप रावत जी को १५ दिन के लिए सदन की सेवा से निकाल दीजिये (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन वर्तमान चरण सिंह सरकार पर पूर्ण विश्वास प्रकट करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
३० जून, १९७०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(अल्प सूचित तारांकित प्र० सं० ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०७ पर)

[भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख ९ जून, १९७० भाग २ खण्ड ३(१) में प्रकाशित]

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नयी दिल्ली, ९ जून, १९७०।

अधिसूचना

सा० का० नि० ९०१—बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम १९६८ (१९६८ का २४) की धारा २ के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एतद्द्वारा जून, १९७० के १० वें दिन को नियत दिन के रूप में नियत करती है।

(फा० सं० २/२/७० एस०आर० जिल्द ११)।

ह० मो० ग० पिम्पुटकर,

विशेष सचिव, भारत सरकार।

विधान सभा पुस्तकालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत ता० प्र० ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१४ पर)

बहराइच जनपद के देहाती क्षेत्रों में जून, १९६९ से सितम्बर, १९६९ तक कार्य कर रहे फुटकर चीनी विक्रेताओं की सूची

क्रम-संख्या	फुटकर बिक्रेता का नाम	न्याय पंचायत	(बोरों का दिया गया स्पेशल कोटा) १९६९ जून,	जुलाई,	अगस्त	सितम्बर
१	२	३	४	५	६	७
		तहसील बहराइच				
१	श्री मुहम्मद इसहाक	लक्षमनपुर कोडरी	१०	१०	१०	१०
२	श्री सहकारी संघ, जौगढ़	परसरामपुर ..	..	..	..	..
३	श्री श्याम लाल ..	किशनपुर चोरवा भारो ..	५	..	..	..
४	श्री अब्दुल हक ..	बैरागी जोत ..	१०	१०	..	..
५	श्री शारदा बक्श सिंह	मछरियहवा ..	..	..	१०	१०
६	श्री राम शंकर ..	रामगढ़ी ..	१०	..	१०	..
७	श्री छोटे लाल ..	तिलकपुर ..	..	१०	..	..
८	श्री मिश्री लाल ..	हरिहरपुर रानी	..	१०	..	..
९	श्री रामदुलारे ..	गोठवा ..	१०	१०	१०	१०
१०	श्री अशर्फी लाल ..	भंगहा ..	..	..	१०	..
११	श्री किशोरी लाल	सिरसिया ..	..	..	..	१०
१२	श्री प्यारे लाल	मनोहरापुर ..	..	..	..	..
१३	श्री उदयभान शुक्ला ..	दुर्गापुर ..	..	..	..	..
१४	श्री विशम्भर प्रसाद ..	शाहपुर बरगदवा	..	१०	१०	१०
१५	श्री किशोरी ..	पूरे प्रसाद ..	..	१०	१०	१०
१६	श्री आसमानसिंह ..	चैलाही ..	..	१०	१०	१०
१७	श्री सुर्य नरायन सिंह ..	भरथा कलां ..	..	..	..	..
१८	श्री लालता प्रसाद ..	लालपुर अयोध्या	..	..	..	५
१९	श्री बाबू राम ओभन ..	परसोहना ..		१०	..	..
२०	श्री बिशम्भर प्रसाद ..	लक्षमनपुर ..	..	..	१०	१०
२१	श्री किशोरी लाल ..	रामपुर देमन	..	..	१०	१०
२२	श्री रवीचन्दर ..	कटरा ..	..	..	..	..
२३	श्री त्रिलोक नाथ ..	लालपुर खदरा ..	..	..	..	..
२४	श्री रामेश्वर प्रसाद ..	इकौना ..	..	..	..	..
२५	श्री तुलसी राम ..	बालापुयर ..	..	..	..	..
२६	श्री स्वामी प्रसाद ..	कोला भार ..	..	..	..	..
२७	श्री मंगरे ..	रमपुरवा ..	..	..	..	..
२८	श्री निरंजन दास ..	खचवीरान ..	..	..	..	..
२९	श्री बिशम्भर प्रसाद ..	चन्द्रावां ..	..	..	..	..
३०	श्री गोबिन्द सहाय ..	बसनेरा ..	..	..	..	..

१	२	३	४	५	६	७
३१	श्री गंगा प्रसाद ..	कल्यानपुर ..	..	..	..	..
३२	श्री राम सेवक ..	बीरपूर मन्श्याराम	..	..	..	..
३३	श्री शिव प्रसाद ..	नरायनजोत ..	..	..	..	..
३४	श्री लालमन गुप्ता ..	टण्डवा महन्त ..	..	..	..	..
३५	श्री राम सबोरे ..	बेमनियांवा ..	१०	१०	१०	१०
३६	श्री श्री राम ..	नेवाला पुर ..	..	१०	..	..
३७	श्री शिवपाल सिंह ..	नेवलापुर ..	..	..	१०	१०
३८	श्री बीरेन्द्र, कुमार ..	पयागपुर ..	..	..	..	१०
३९	श्रीमती राम दुलारी	हसवा पारा ..	..	..	..	..
४०	श्री शीतलप्रसाद लालजी ।	कुशभौंगा ..	१०	१०	१०	१०
४१	श्री लक्ष्मी नरायन ..	लखनगोडा ..	..	..	..	..
४२	श्री सहदेव सिंह ..	लालपुर ..	..	..	१०	१०
४३	श्री तुलसी राम ..	कुरसहा ..	..	..	..	१०
४४	श्री चन्द्रभान दत्त ..	रा० प्र० पटना	१०	१०	१०	१०
४५	श्री राम चन्दर ..	सोहरियावां ..	१०	१०	१०	१०
४६	श्री राजेन्द्र नाथ तिवारी	सिवदहा ..	..	..	१०	१०
४७	श्री श्रीराम सिंह ..	गंगवल ..	..	१०	१०	१०
४८	श्री काशी राम ..	त्रिकोलिया ..	..	..	..	..
४९	श्री श्रीराम सिंह ..	डोलकुवां ..	..	..	१०	१०
५०	श्री शारदा प्रसाद ..	डोलकुवां ..	..	..	..	..
५१	श्री शिव सहाय सिंह	खुटेहना ..	..	..	१०	१०
५२	श्री श्याम नरायन ..	गिलौला ..	१०	१०	१०	१०
५३	श्री राम चन्दर ..	लंगड़ी गूलर ..	१०	१०	१०	..
५४	श्री ओरी लाल ..	रतनापुर ..	..	..	..	..
५५	श्री बद्री प्रसाद ..	सुबर्खा ..	१०	१०	१०	१०
५६	श्री बदलू राम ..	परवपुर ..	१०	१०	१०	१०
५७	श्री प्रकाश चन्द्र ..	नेवरिया ..	..	..	..	..
५८	साधन सहकारी समिति	नीबामारी ..	..	..	..	..
५९	श्री प्रभू दयाल ..	रायपुर बिलौला	..	१०	१०	..
६०	श्री हरि प्रसाद ..	कल्यानपुर ..	..	१०	१०	..
६१	श्री शेर बहादुर ..	ककन्थू ..	१०	..	१०	..
६२	श्री चुन्नी लाल ..	जोहरा ..	..	..	..	..
६३	श्री बाबूलाल ..	धुरमनपुर ..	..	..	..	..
६४	श्री राम लखन ..	टेपरहा ..	..	..	..	..
६५	श्री सोहनलाल ..	कल्पीपारा ..	१०	१०	१०	१०
६६	श्री कैलाश नाथ ..	बरहिया ..	१०	१०	१०	१०
६७	श्री छोटे लाल ..	मसीहाबाद ..	..	..	..	..
६८	मु० जहूरुल हसन ..	डीहा ..	१०	..	१०	१०
६९	श्री कन्धई लाल ..	मछियाही ..	..	..	१०	..
७०	श्री विशुनदेव ..	सोहरवा चक ..	१०	१०	१०	१०

१	२	३	४	५	६	७
		तहसील नानपारा				
१	श्री मकबूल अहमद ..	शाहपुर कलां ..	..	..	१०	१०
२	श्री मिश्री लाल ..	बहादुरपुरवा ..	१०	१०	१०	१०
३	श्री बनवारी लाल ..	बलहा ..	..	..	..	१०
४	श्री राधे श्याम ..	जगन्नाथ पुरे बेचई	..	..	१०	१०
५	श्री रामादल ..	चन्दनपुर ..	..	..	..	..
६	श्री जगदीश प्रसाद ..	दौलतपुर ..	१०	१०	१०	१०
७	श्री राम रूप ..	पतरहिया ..	१०	१०	१०	१०
८	श्री हरी शंकर ..	गुरघुट्टा ..	..	..	..	..
९	श्री छेदी राम ..	बगहा ..	..	१०	१०	१०
१०	श्री कन्हैया लाल ..	सिसवारा ..	..	..	..	१०
११	श्री कुंवर बहादुर ..	अली नगर कलां	..	..	..	..
१२	श्री भीषम लाल ..	सोहबतिया ..	..	..	..	..
१३	श्री छोटे लाल ..	बल्दूपुरवा ..	..	..	..	..
१४	श्री बाबू खां ..	शंकरपुर लवमनुपुर	..	..	..	..
१५	श्री इनामुल हक ..	असवा मोहम्मद-पुरा।	..	..	..	१०
१६	श्री मनोहर लाल ..	बेहड़ा ..	..	१०	..	..
१७	श्री हामिद खां ..	बेला मकन ..	..	..	..	..
१८	श्री विशनन्दन प्रसाद	शिवपुर ..	..	..	..	..
१९	श्री सांवली प्रसाद ..	शिवपुर ..	..	..	..	१०
२०	श्री रामगोपाल ..	रामपुर धोबिया-हार।	..	..	..	..
२१	श्री आज्ञा राम ..	इटहा ..	..	..	..	..
२२	श्री गंगा प्रसाद ..	आम्बा ..	१०	१०	१०	१०
२३	श्री राम बिलास ..	उर्रा ..	..	..	..	..
२४	क्वा० यूनियन, .. मिहीपुरवा।	सेमरीघटही ..	..	..	..	..
२५	श्री श्या लाल ..	गोपिया ..	१०	१०	१०	१०
२६	श्री मोती लाल ..	लोकहाही ..	..	..	..	..
२७	श्री असगर अली ..	भनला ..	..	..	..	..
२८	श्री कान्त ..	मिहीपुरवा ..	..	१०	१०	१०
२९	श्री राम सरन ..	भगवानपुर कुर्मियाना।	..	१०	१०	१०
३०	श्री गंगा प्रसाद ..	कारीकोट ..	१०	१०	१०	१०
३१	श्री अब्बन ..	चौगोई बिलासपुर	..	..	१०	१०
३२	श्री गिरधारी लाल	विश्वनाथ गांव	..	१०	१०	१०
३३	क्षेत्रीय स० समिति रुपईडीहा	जैतापुर ..	..	..	..	..

१	२	३	४	५	६	७
३४	श्री मुन्ना लाल ..	दौलतपुरा ..	..	..	..	..
३५	श्री अम्बिका प्रसाद	लक्ष्मनपुर सलारपुर	१०	१०	१०	१०
३६	श्री छबिलाल त्रिपाठी	कल्यानपुर ..	१०	१०	१०	१०
३७	श्री गया प्रसाद ..	गोविन्दसुर पंडित	..	१०	..	..
३८	श्री हरभजन ..	जमदान ..	..	१०	१०	..
३९	श्री छबिलाल ..	जमुनहा बाबागंज	१०	१०	.	१०
४०	श्री राधे श्याम ..	हरदत्तनगर गिरन्ह	..	१०	१०	१०
४१	श्री गेंदा लाल ..	देरवरा ..	..	..	१०	१०
४२	श्री ननकऊ लाल ..	गौसपुर ..	..	१०	१०	१०
४३	श्री राम पल्टन ..	शिकारी चौड़ा..	..	..	..	..
४४	श्री मुस्तफा अली ..	राजापुर पुरैना	१०	१०	१०	१०
४५	श्री अली अहमद ..	रामपुर बनगई	..	..	..	..
४६	श्री बेचन लाल ..	जमुनहा दूनबोभवी	..	१०	१०	१०
४७	श्री सरदार हुसैन ..	बैजनाथपुर ..	..	१०	१०	१०
४८	श्री इफ्तखार अहमद	भगवानपुर पमैसाही	..	..	१०	..
४९	श्री पतीराम जुमुनहा	भवनियापुर ..	..	..	..	..
५०	श्री प्रहलाद राय ..	मैलबड़गांव	१०	१०	१०	१०
५१	श्री मदन लाल ..	भहरथां ..	१०	१०	१०	१०
५२	श्री बहलवान राम ..	शंकरपुर ..	..	..	..	१०
५३	श्री राम औतार ..	भगतापुह ..	१०	१०	१०	१०
५४	श्री छैल राम ..	भौखारा ..	१०	१०	१०	१०
५५	श्री चन्द्रपाल सिंह ..	पंडरी तारा ..	..	..	..	..
५६	श्री हरिश्चन्द्र ..	लक्ष्मनपुर शंकरपुर	१०	१०	१०	१०
५७	श्री सत्यनरायन ..	जमुनहा ..	..	१०	१०	१०
५८	श्री रामजीलाल ..	रायपुरकबुला ..	..	..	..	१०

तहसील कैसरगंज

१	श्री जमुना प्रसाद ..	तपेसिपाह ..	१०	१०	१०	१०
२	श्री गफ्फार अली ..	कटका भरोछा..	..	..	१०	१०
३	श्री तेज बाबू सिंह ..	रायगढ़ बेहड़ा	..	..	१०	१०
४	श्री महावदे प्रसाद ..	गोड़हियां नं० २	..	..	..	..
५	श्री राम लखन ..	जरवल बाजार	..	..	१०	१०
६	श्री राम लाल शाह ..	अठेसा ..	..	..	..	..
७	श्री राजकुमार सिंह	भखरौली कमपुरवा	..	१०	१०	१०
८	श्री रामेश्वर प्रसाद	इन्छापुर ..	..	१०	१०	..
९	श्री महेन्द्र पाल सिंह	बम्भैरा ..	..	१०	१०	१०
१०	श्री केदार नाथ ..	चक पिहानी ..	..	१०	१०	१०
११	श्री रहमत उल्ला ..	डढेला ..	..	१०	१०	१०
१२	श्री मु० यूसुफ ..	बदरौली ..	..	१०	१०	१०
१३	श्री रशीद अहमद खां	बैरी महेशपुर	१०	..	१०	१०
१४	श्री मकबूल अहमद ..	डिहवा शेर बहादुर	१०	..	१०	१०

१	२	३	४	५	६	७
१५	श्री नरेन्द्र सिंह ..	राजापुर ..	..	..	..	१०
१६	सा० सहकारी समिति	हैबतपुर छपरला	..	..	..	..
१७	श्री हबीब अहमद ..	सराय अली ..	..	..	..	..
१८	श्री राम मनोहर ..	जेतापुर ..	..	..	..	..
१९	श्री भगवान दीन ..	सराय जमना ..	१०	१०	१०	१०
२०	श्री शिव राम ..	बभियारी ..	..	..	..	..
२१	श्री दीन बन्धु ..	गजाधरपुर ..	..	..	..	..
२२	श्री सिया राम ..	दुहौरा ..	..	..	..	..
२३	श्री मखदूम बख्श ..	भौरी ..	१०	..	१०	१०
२४	श्री मु० हनीफ ..	मन्दवल ..	..	..	..	..
२५	श्री स्वामी दयाल ..	बौडी राजा ..	..	..	..	..
२६	श्री रहीम बक्श ..	माधोपुर ..	..	..	..	..
२७	श्री सन्तदीन ..	डोकारी ..	..	..	..	..
२८	श्री द्वारिका प्रसाद ..	डंडवा शिष्ठिपुर	..	..	..	..
२९	साधन सहकारी समिति अलादादपुर ।	सबलापुर ..	..	..	..	..
३०	श्री श्रीराम ..	ऐरिया ..	..	..	..	१०
३१	श्री मो० अली ..	बख्तपुर सिकडिहा	..	..	..	..
३२	श्री राम नरेश ..	रमपुरवा ..	..	..	..	..
३३	देवेन्द्रपाल सिंह ..	बंशपुरवा ..	..	..	..	..
३४	श्री नन्हे ..	भुन्सारी ..	१०	..	१०	१०
३५	श्री शम्भू सरन ..	नथवापुर ..	..	..	..	..
३६	श्री उदित नरायन ..	मैकूपुरवा ..	..	..	..	..
३७	श्री सिया राम ..	मेवाडा ..	..	..	..	..
३८	श्री राम शंकर ..	भासाडीहा ..	..	..	..	..
३९	श्री परवानी ..	ओतवांडपारा	..	..	..	..
४०	श्री राधे श्याम ..	भोतला ..	..	..	..	..
४१	श्री श्रीराम गुप्ता ..	बेकैना ..	..	..	..	..
४२	श्री जगदीश सरन ..	देवनपुरा ..	१०	१०	१०	१०
४३	श्री चम्पा राम ..	मेवासी ..	..	..	..	..
४४	श्री मु० इसहाक ..	मिभदीपुर ..	..	१०	१०	१०
४५	श्री पीर बख्श ..	अरैउमरी ..	..	१०	..	..
४६	श्री श्याम सुन्दर ..	यहवापुर ..	..	..	..	..
४७	श्री हनुमान प्रसाद ..	बिराहिमपुर बेल्हौरा ।	१०	..	१०	१०
४८	श्री बद्री प्रसाद ..	नरौवा ..	१०	..	१०	१०
४९	श्री राम सेवक हुसैनपुर	हुसैनपुर ..	..	..	..	..
५०	श्री कुरबान अली ..	कलवापुर ..	१०	१०	१०	१०
५१	श्री राम लाल ..	कपूरपुर ..	१०	..	१०	१०
५२	श्री मु० मुनीर ..	अरगापुर ..	..	..	..	..
५३	श्री हृदय नारायन ..	करमुल्लापुर ..	१०	..	१०	..

१	२	३	४	५	६	७
५४	श्री शम्भू दत्त ..	कटघरी सुग्रीव सिंह ।	१०	१०	१०	..
५५	श्री रबिन्द्र प्रताप सिंह	डिबुई कलां ..	१०	१०	१०	१०
५६	श्री बशीर उल्ला ..	सरवा ..	१०	१०	१०	१०
५७	श्री भगौती प्रसाद ..	बड़ा गांव ..	..	१०	१०	..

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तां० प्र० ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२६ पर)

जिला मुरादाबाद में भारतीय खाद्य निगम तथा उत्तर प्रदेश सहकारी संघ द्वारा खोले गये क्रय केंद्रों की सूची

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खोले गये क्रय केन्द्रों का नाम	उत्तर प्रदेश सहकारी संघ जो खाद्य निगम के क्रय एजेन्ट हैं, द्वारा खोले गये क्रय केन्द्रों के नाम
१ मुरादाबाद मंडी	१ पखवारा सहकारी संघ लि०
२ हसनपुर मंडी	२ चकिया सहकारी संघ लि०
३ चन्दौसी मंडी	३ जोया सहकारी संघ लि०
४ धनौरा ,,	४ जाटपुर सहकारी संघ लि०
५ अमरोहा ,,	५ महमूदपुर सहकारी संघ लि०
६ कांठ ,,	६ नरौली सहकारी संघ लि०
७ सम्भल ,,	७ पवन्सा सहकारी संघ लि०
८ बहजोई ,,	८ ठाकुर द्वारा सहकारी संघ लि०
९ मोजपुर ,,	९ कांठ सहकारी संघ लि०
१० बिलारी ,,	१० कुन्दरकी एन० आर० सहकारी संघ लि०
११ कीरतपुर ,,	११ उझानी सहकारी संघ लि०
	१२ बी० सिंहपुर सहकारी संघ लि०
	१३ गजरौला सहकारी संघ लि०
	१४ मुन्डा पांडे सहकारी संघ लि०
	१५ चन्दौसी सहकारी संघ लि०
	१६ रजबपुर सहकारी संघ
	१७ स्युन्दरा सहकारी संघ लि०
	१८ खुरदूम नगर सहकारी (क्षेत्रीय) समिति
	१९ धनौरा सहकारी क्रय विक्रय समिति लि०
	२० अमरोहा सहकारी क्रय विक्रय समिति लि०
	२१ हसनपुर सहकारी क्रय विक्रय समिति लि०
	२२ सम्भल सहकारी क्रय विक्रय समिति लि०
	२३ बहजोई सहकारी क्रय विक्रय समिति लि०
	२४ चन्दौसी सहकारी क्रय विक्रय समिति लि० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये ता० प्र० १८ का उत्तर नीचे पृष्ठ ५२८ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	मंडल का नाम		विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों की संख्या
१	मेरठ	..	५७९९
२	आगरा	..	१६५०
३	बरेली (रुहेल खंड)	..	२१७१
४	कुमायूं	..	७५१
५	गढ़वाल	..	..
६	झांसी (बुन्देल खंड)	..	९२२
७	इलाहाबाद	..	७६६
८	फैजाबाद	..	४५५
९	बाराणसी	..	३३६
१०	गोरखपुर	..	५७३
११	लखनऊ	..	७४५
		योग ..	१२८६८

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३२ पर)

संलग्नक

वर्ष				हानि	लाभ
१९६४–६५	..	..	..	१९,७१९.९५ पै०	..
१९६५–६६	..	..	..	८,२१०.७३ पै०	..
१९६६–६७	..	..	..	..	५,२४४.३१ पै०
१९६७–६८	..	..	..	२८,२६८.०२ पै०	..
१९६८–६९	..	..	..	..	उपलब्ध नहीं है।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५१९ पर)

विभाजन के संबंध में श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक ४ जुलाई, १९७० को अपने कक्ष से दिया गया निर्णय

---

३० जून, १९७० को प्रश्नोत्तर के समय जब श्री अनन्तराम जायसवाल ने बिना मेरी अनुमति के बोलना जारी रखा और मैंने उनसे कहा कि वे अपना स्थान ग्रहण करें अथवा सदन छोड़ें तथा उन्होंने अपना स्थान ग्रहण करने से इन्कार कर दिया तो मुझे विवश होकर श्री जायसवाल को इंगित करना पड़ा था। नियमानुसार मैंने सदन ने श्री जायसवाल को तीन दिन के लिए सदन की सेवा से निलम्बित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिस पर विभाजन की मांग की गई और विभाजन की घंटी बजाई गई। घंटी बन्द होने के बाद जब सदन के सभी द्वार बन्द कर दिये गये तो उस समय प्रेस गैलरी से कुछ सदस्य कूद कर सदन में आ गये बावजूद इसके कि विधान सभा रक्षकों तथा मार्शल ने उनको ऐसा करने से मना किया। इसी प्रकार राज्यपाल दीर्घा से कुछ सदस्यों ने सदन में कूदने का प्रयास किया, जिसे रोक दिया गया। विभाजन के उपरान्त मेरे पास उस समय जो सूचना उपलब्ध थी उसके अनुसार मैंने विभाजन का परिणाम घोषित करते हुए कहा था कि निलम्बन का प्रस्ताव निम्न मतानुसार गिर गया :—

पक्ष में—११५,
विपक्ष में—११७।

मतदान के दौरान सरकारी पक्ष तथा विपक्ष दोनों ओर से ही यह आपत्ति की गई थी कि कुछ सदस्यों के अनधिकृत रूप से सदन में आ जाने के कारण मतदान ठीक नहीं हो रहा है।

मत गणना का परिणाम घोषित होने के उपरान्त सदन में अत्यधिक शोर होने लगा और कार्यवाही में बाधा पड़ने लगी। तब मैंने कुछ समय के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। स्थगन काल में कक्ष में मार्शल ने लिखित रूप से मुझे उन सदस्यों के नामों की सूचना दी जो सदन के द्वारा बन्द हो जाने के उपरान्त प्रेस गैलरी से कूद कर सदन में आये थे। उनके नाम हैं :—

(१) श्री श्याम लाल कनौजिया,
(२) श्री कृष्ण सिंह।
( ) श्री मोतीलाल देलहवी,
(४) श्री कमल मोहन सिंह तथा
(५) श्री हरी सिंह।

मार्शल ने यह भी लिखित सूचना दी है कि "हां" पक्ष की लाबी का द्वार, जो नोटिस आफिस में खुलता है, विभाजन के समय बन्द कर दिया गया था, किन्तु उसे बाद में किसी सदस्य ने जबरदस्ती खुलवाया और उस द्वार के रास्ते कुछ सदस्यों ने लाबी में अनधिकृत रूप से प्रवेश किया और सूचियों पर हस्ताक्षर किये। विभाजन की सूचियां भी मेरे समक्ष निरीक्षण के लिए रखी गई। उनको देखने से यह ज्ञात हुआ कि पांच सदस्यों के नाम पक्ष तथा विपक्ष दोनों ओर की सूचियों में हैं। उनके नाम हैं :—

(१) श्री चन्द्र प्रताप नारायण,
(२) श्री चरण सिंह,
(३) श्री चिरंजी लाल,
(४) श्री दुलारे लाल तथा
(५) श्री धनुषधारी पांडेय।

इन पांच सदस्यों ने, जिनके नाम दोनों सूचियों में हैं, मुझे बाद में लिखित रूप से सूचित किया कि उन्होंने पक्ष में मतदान किया था और विपक्ष की सूची में जो उनके हस्ताक्षर हैं, वे जाली हैं। इसके अतिरिक्त तीन ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने लिखित रूप से यह सूचना दी है कि

विभाजन के समय वे अनुपस्थित थे और विपक्ष की सूची में उनके हस्ताक्षर जाली हैं। इसके अलावा मेरी नोटिस में यह भी आया है कि कुछ अन्य सदस्य जो या तो अनुपस्थित थे या जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया, उनके हस्ताक्षर भी जाली बनाये गये हैं, उदाहरणार्थ, श्री जे० एन० सिन्हा तथा श्री डी० पी० बोरा के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। विपक्ष की ओर से भी यह आपत्ति उठायी गई थी कि "हां" पक्ष की लाबी की ओर जो द्वार हैं उधर से कुछ सदस्य द्वार बन्द होने के बाद सदन में आये और उन्होंने मतदान में भाग लिया, किन्तु किसी का नाम विशेष रूप से नहीं लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री, श्री नारायणदत्त तिवारी, ने भी लिखित रूप से तथा मौखिक भी सूचित किया है कि "हां" पक्ष की ओर भी एक हस्ताक्षर जाली बनाया गया है, ऐसी सूचना श्री जगदीश गांधी के बारे में उन्होंने दी है।

इन सब बातों को देखते हुए हैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मैंने ३० जून को जो विभाजन का परिणाम, उस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, घोषित किया था, वह वास्तव में ठीक नहीं था। बाद में मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई या माननीय सदस्यों ने लिखित रूप से मुझे सूचित किया, उन सब को देखते हुए विभाजन का परिणाम अप्रभावी हो जाता है, क्योंकि :—

(१) विपक्ष की सूची में उन पांच सदस्यों के नाम नहीं होने चाहिए, जिन्होंने पक्ष में मतदान किया और लिखित रूप से सूचना दी है कि उनके विपक्ष की सूची में हस्ताक्षर जाली रूप से बनाये गए हैं।

(२) मार्शल ने जिन पांच सदस्यों के बारे में रिपोर्ट दी है कि वे प्रेस गैलरी से कूद कर सदन में आये, उनको मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं था। इसी प्रकार "हां" पक्ष की सूची में भी श्री जगदीश गांधी का नाम जाली बनाया, कहा जाता है।

(३) जो सदस्य "हां" पक्ष की लाबी के द्वार बन्द होने के उपरान्त उसे खोलवा कर अन्दर आये और सूचियों में हस्ताक्षर किये, उन सब के हस्ताक्षर अनधिकृत हैं।

(४) जो सदस्य सदन में अनुपस्थिति थे या जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया और जिनके हस्ताक्षर अनधिकृत रूप से बनाये गये हैं, उनके नाम भी विपक्ष की सूची में अनधिकृत हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जो विभाजन सदन में उस दिन हुआ उसमें बहुत सी अनियमिततायें हुईं, जो बहुत गम्भीर हैं। सदन में प्रेस गैलरी से कूद कर मत देना या लाबी का दरवाजा खोल कर अन्दर प्रवेश कर के मतदान करना—यह बहुत गम्भीर अनियमितता तो है ही, पर इससे भी अधिक गम्भीर अनियमितता दूसरों के जाली हस्ताक्षर बनाना है जो न केवल अनियमितता ही है, बल्कि जुर्म भी है और इससे सदन का बड़ा भारी अवमान भी होता है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने यह प्रार्थना की थी कि मैं स्वयं इस सम्बन्ध में जांच कर के विभाजन के सही परिणाम की सदन में घोषणा करूं।

उन्होंने मेरा ध्यान हाउस आफ कामन्स की परम्पराओं की ओर भी आकर्षित किया और में की पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के संस्करण १७ के पृष्ठ ४२८ पर उल्लिखित वाक्य की ओर विशेष ध्यान दिलाया है :—

"If a mistake is subsequently discovered, it will be ordered to be corrected....."

यदि बाद में किसी अशुद्धि का पता चले तो उसे शुद्ध करने की आज्ञा दी जायेगी। मैंने उक्त पृष्ठ पर उल्लिखित बहुत से पुराने दृष्टान्तों को भी देखा और यह पाया कि घटना घटने के काफी दिनों बाद भी हाउस आफ कामन्स के जरनल में शुद्धियां की गईं और उन विभाजनों को कार्यवाही निरस्त (Null and Void) घोषित की गई है। यह तभी सम्भव हो सकता है जब कि हाउस आफ कामन्स की प्रथा के अनुसार विभाजन में नियुक्त टैलर्स में एक

मत रहा हो। हमारे यहां टैलर्स को नियुक्त करने की परम्परा नहीं है और न नियमों में ही इसका कोई प्राविधान है। टेलर्स अर्थात् दोनों पक्षों का एक-एक सदस्य प्रत्येक लाबी में रहते हैं और अशुद्धि को दुरुस्त करने का उनका एकमत अध्यक्ष के सामने आता है तो वह उसे स्वीकार कर लेते हैं और इस प्रकार अध्यक्ष के ऊपर जांच करने का दायित्व नहीं रहता है और न कोई निर्णय पर शंका कर सकता है। मैंने भी इसलिए नियम ३१३ के अन्तर्गत अधिकारों का उपयोग करके यह निश्चय किया है कि यदि गलतियों को सुधार कर विभाजन को सही रूप देना है तो, या तो विशेषाधिकार समिति इसकी जांच करे अथवा अन्य समिति सदन के दलों के नेताओं के परामर्श से नियुक्त हो, जो जांच करके अनियमितताओं के कारण मतों की संख्या में जो अशुद्धि हो गई है उसे एकमत से ठीक करने का सुझाव मेरे और सदन के समक्ष रखे जिससे सदन का रिकार्ड ठीक हो सके।

मैंने इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष जी से बातें की हैं। माननीय उपाध्यक्ष विशेषाधिकार समिति के सभापति हैं, वे इस विषय को विशेषाधिकार समिति में भेजने के अधिक पक्ष में नहीं हैं, किन्तु जैसा मैंने कहा विषय गम्भीर है, सदन के सदस्यों पर लान्छन आता है और सदन की मान मर्यादा को ठेस पहुंचती हैं, इसलिये मैं यह उचित समझता हूं कि इसको सदन की किसी समिति को अवश्य सुपुर्द करूं, विशेष रूप से इसलिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटनायें न घटित हों और उनको कैसे रोका जाय तथा उसके संबंध में क्या प्रक्रिया हो और कौन से प्रबन्ध विशेष रूप से किये जायं। मैं नियम २०० के अन्तर्गत नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं के परामर्श से एक समिति गठित करूंगा और इस समिति को यह भी अधिकार होगा कि वह यदि सम्भव हो तो एकमत से मुझे विभाजन के मतों की संख्या में सुधार करने के लिए भी सुझाव दें, परन्तु इस प्रकार विभाजन की संख्या में सुधार करना बहुत कठिन तथा असंभव सा प्रतीत होता है और समय भी बहुत लग सकता है।

ऐसी अवस्था में चूंकि हाउस आफ कामन्स में इससे कहीं साधारण अनियमितताओं के होने पर अध्यक्ष ने विभाजन को, विभाजन परिणाम घोषित होने के कई दिन बाद भी, निरस्त (Null and Void) किया है, इसलिए चूंकि हमारे सदन में विभाजन में बहुत सी गम्भीर अनियमिततायें हुई हैं, मैं भी ३० तारीख के विभाजन की सारी कार्यवाही को निरस्त (Null and Void) घोषित (declare) करता हूं और उसे निष्प्रभावी माना जायगा।

आत्माराम गोविन्द खेर,

४-७-७०

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १२३ एल० ए०—१९७१—८४५।